सत्यमेव जयते

लेखे एक दृष्टि में

2018-19

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

छत्तीसगढ़ शासन

लेखे एक दृष्टि में

2018-19

छत्तीसगढ़ शासन

प्राक्कथन

छत्तीसगढ़ शासन के वर्ष 2018–19 के 'लेखे एक दृष्टि में' के हमारे इस वार्षिक प्रकाशन को प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है जो सरकारी कार्यकलापों, जैसा कि वित्त लेखे और विनियोग लेखे में प्रदर्शित है, को व्यापक अधि–दृष्टि प्रदान करता है।

वित्त लेखे समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखे की संक्षिप्त विवरणियां हैं। विनियोग लेखे राज्य विधायिका द्वारा अनुमोदित किये गये प्रावधानों के अंतर्गत अनुदान–वार व्यय को दर्शाते हैं तथा वास्तविक व्यय और प्रदत्त निधियों के बीच अंतरों की व्याख्या करते हैं।

नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुरूप भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के दिशा–निर्देशों के अधीन मेरे कार्यालय द्वारा राज्य विधायिका के पटल पर रखे जाने हेतु वार्षिक वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे को तैयार किया जाता है।

हमें पाठकों की प्रतिक्रिया, जिससे संस्करण को उत्कृष्ट बनाने में सहायता मिलेगी, की प्रतीक्षा है।

(राजीव कुमार)
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
छत्तीसगढ़

स्थान : रायपुर
दिनांक : 10 अगस्त 2020

हमारा दृष्टिकोण, लक्ष्य एवं आन्तरिक मूल्य

दृष्टिकोण:

(भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के संस्थान का दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि हम क्या बनना चाहते हैं।)

सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षण और लेखांकन के क्षेत्र में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय सर्वोच्च पद्धतियों की पहल तथा विश्वव्यापी नेतृत्व की ओर हम सतत अग्रसर हैं और लोक वित्त एवं अभिशासन पर स्वतन्त्र, विश्वसनीय, संतुलित तथा समयबद्ध प्रतिवेदन हेतु जाने जाते हैं।

उद्देश्य:

(हमारा उद्देश्य हमारी वर्तमान भूमिका को निरूपित करता है तथा हमारे आज किये जाने वाले कार्य को परिभाषित करता है।)

भारत के संविधान द्वारा अधिदेशित, हम उच्च गुणात्मक लेखापरीक्षण तथा लेखांकन के माध्यम से उत्तरदायित्व, पारदर्शिता तथा सुशासन को प्रोन्नत करते हैं तथा अपने पणधारियों, विधायिका, कार्यपालिका तथा जनता को इस बात से स्वतंत्र आश्वासन देते हैं कि लोक–निधियों को दक्षता पूर्वक एवं अपेक्षित उद्देश्यों हेतु ही उपयोग किया जा रहा है।

आंतरिक मूल्य:

(हमारे आंतरिक मूल्य हमारे समस्त कार्यकलापों के मार्गदर्शक संकेत हैं तथा हमें हमारी निष्पादिता के आकलन हेतु निर्देश चिन्ह प्रदान करते हैं।)

★ स्वतंत्रता

★ वस्तुनिष्ठता

★ सत्यनिष्ठा

★ विश्वसनीयता

★ व्यावसायिक उत्कृष्टता

★ पारदर्शिता

★ सकारात्मक दृष्टिकोण

विषय सूची

		पृष्ठ संख्या
अध्याय–I	**अधिदृष्टि**	
1.1	परिचय	1
1.2	सरकारी लेखों की संरचना	1
1.3	वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे	3
1.4	निधियों के स्त्रोत एवं अनुप्रयोग	4
1.5	राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.), अधिनियम, 2005	7
अध्याय– II	**प्राप्तियाँ**	
2.1	परिचय	9
2.2	राजस्व प्राप्तियां	9
2.3	कर राजस्व	11
2.4	कर वसूली पर लागत	13
2.5	संघीय करों में राज्य के अंश का पिछले पॉच वर्षो का रूझान	14
2.6	सहायता अनुदान	14
2.7	लोक ऋण	15
2.8	पिछले पांच वर्षो के दौरान निवल लोक ऋण का रूझान	16
2.9	उधार की निधियों तथा पूंजीगत व्यय	16
अध्याय– III	**व्यय**	
3.1	परिचय	17
3.2	राजस्व व्यय	17
3.3	पूंजीगत व्यय	19
3.4	प्रतिबद्ध व्यय	21
अध्याय– IV	**विनियोग लेखे**	
4.1	वर्ष 2018–19 के विनियोग लेखे का सारांश	22
4.2	विगत पॉच वर्षों में बचत/आधिक्य का रूझान	22
4.3	महत्वपूर्ण बचतें	23
4.4	अनावश्यक सिद्ध हुए अनुपूरक अनुदान/विनियोग	23
4.5	व्यय का अतिरेक	26

पृष्ठ संख्या

अध्याय– V	**परिसम्पत्तियां तथा दायित्व**	
5.1	परिसम्पत्तियां	27
5.2	ऋण तथा देनदारियां	27
5.3	प्रतिभूतियां	28
5.4	राज्य सरकार के ऑफ बजट दायित्व	29
5.5	सेवानिवृत्ति हितलाभों का दायित्व	30
अध्याय– VI	**अन्य मदें**	
6.1	आंतरिक ऋणों के अधीन प्रतिकूल शेष	31
6.2	राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम	31
6.3	स्थानीय निकायों एवं अन्य को वित्तीय सहायता	31
6.4	रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश	32
6.5	लेखों का पुर्नमिलान	32
6.6	लेखे प्रतिपादन इकाईयों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतिकरण	32
6.7	असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक व्यय बिल (ए.सी.)	33
6.8	उचंत अवशेषों की स्थिति	33
6.9	शेष उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति	34
6.10	विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरणों को राशि का स्थानांतरण	34
6.11	विगत पॉच वर्षों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)	34
6.12	अपूर्ण पूंजीगत निर्माण कार्यों की प्रतिबद्धता	35
6.13	व्यक्तिगत जमा खाता (पी.डी.) में धन का स्थानान्तरण	35
6.14	निवेश	35
6.15	आरक्षित निधि की स्थिति	36
6.16	भारत सरकार के लेखा मानकों का अनुपालन	38

अध्याय–I

अधिदृष्टि

1.1 परिचय–

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़, विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त आंकड़ों को परितुलित, वर्गीकृत एवं संकलित करता है और छत्तीसगढ़ सरकार के लेखों का निर्माण करता है। यह संकलन 28 कोषालयों, 57 लोक निर्माण संभागों, 29 ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभागों, 62 सिंचाई एवं 36 लोक स्वास्थ संभागों, 53 वन संभागों, 33 ग्रामीण विकास संभागों एवं चार सड़क निर्माण संभागों, अन्य राज्यों/लेखा कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया जाता है। कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार के समक्ष प्रतिमाह मासिक सिविल लेखा प्रस्तुत किया जाता है। कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) सरकार के महत्वपूर्ण वित्तीय संकेतकों और व्यय की गुणवत्ता पर एक त्रैमासिक मूल्यांकन नोट भी प्रस्तुत करता है। महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) वार्षिक वित्तीय लेखे एवं विनियोग लेखे भी तैयार करता है जिसे महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़ द्वारा लेखापरीक्षा उपरांत तथा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के प्रमाणीकरण के पश्चात् राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाता है।

1.2 सरकारी लेखों की संरचना–

1.2.1 सरकारी लेखे तीन भागों में तैयार किये जाते हैं–

भाग–1 **समेकित निधि**	कर तथा गैर कर राजस्वों सहित सरकार के सभी राजस्वों, उठाये गये ऋण एवं दिये गये ऋणों की अदायगी (उन पर ब्याज सहित) समेकित निधि में जमा होते है। ऋणों की अदायगी तथा लिये गये ऋणों की वापसी (ब्याज सहित) सहित सरकार की समस्त खर्चों तथा संवितरणों को इस निधि से वहन किया जाता है।
भाग–2 **आकस्मिकता निधि**	यह निधि एक अग्रदाय स्वरूप की है जिसे अप्रत्याशित–व्यय (जिसका बजट में प्रावधान नहीं किया गया है) की पूर्ति हेतु खर्च किया जाता है। बाद में इस प्रकार के व्यय की प्रतिपूर्ति आकस्मिकता निधि से की जाती है। छत्तीसगढ़ सरकार की इस निधि हेतु कायिक राशि ₹ 100 करोड़ है।
भाग–3 **लोक लेखे**	लोक लेखों में ऋण (भाग 1 में शामिल ऋणों के अलावा), जमा, अग्रिम, प्रेषण तथा उचंत से संबंधित लेन–देन को दर्ज किया जाता है। इस भाग में ऐसे ऋण, जमा तथा अग्रिम शामिल हैं जिनके संबंध में सरकार धन वापिस देने का दायित्व लेती है या भुगतान की गई राशियों को वसूल करने का दावा कर सकती है (ऋण तथा जमा की अदायगियों और अग्रिमों की वसूली सहित)। प्रेषण तथा उचंत केवल समायोजन शीर्ष हैं जिन में कोषालयों और मुद्रा चेस्ट के बीच नकदी के प्रेषण तथा विभिन्न लेखा परिमण्डलों के बीच हस्तान्तरण को लिया जाता है। इन शीर्षों में प्रारम्भिक नामे व जमा का निपटान, बाद में उसी या किसी दूसरे परिमण्डल में सदृश प्राप्ति या अदायगी के द्वारा अथवा लेखा के अंतिम शीर्षों में बुक करके किया जाता है।

1.2.2 लेखों का संकलन

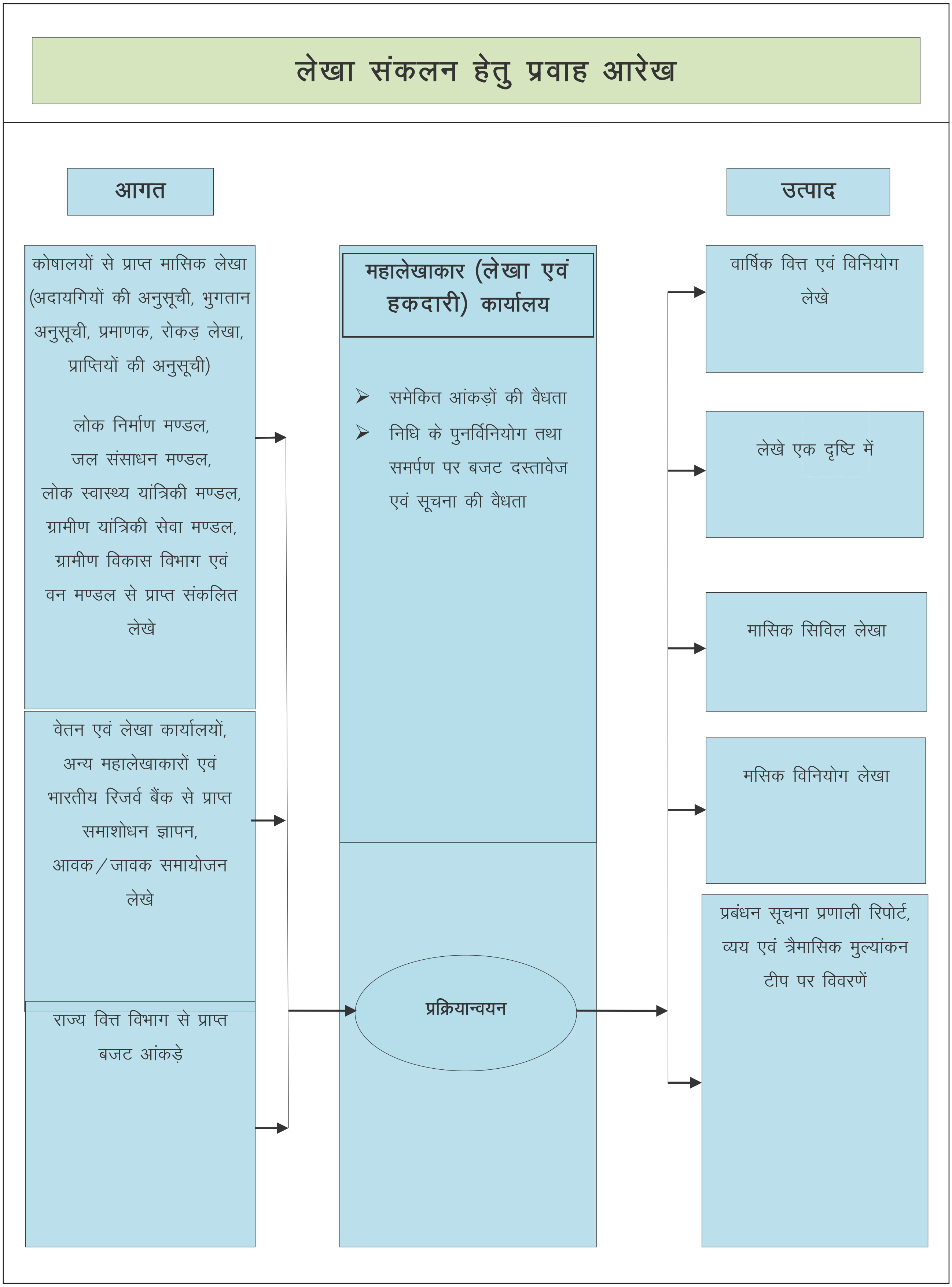

लेखा संकलन हेतु प्रवाह आरेख
आगत
उत्पाद
कोषालयों से प्राप्त मासिक लेखा (अदायगियों की अनुसूची, भुगतान अनुसूची, प्रमाणक, रोकड़ लेखा, प्राप्तियों की अनुसूची)
लोक निर्माण मण्डल, जल संसाधन मण्डल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मण्डल, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डल, ग्रामीण विकास विभाग एवं वन मण्डल से प्राप्त संकलित लेखे
वेतन एवं लेखा कार्यालयों, अन्य महालेखाकारों एवं भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त समाशोधन ज्ञापन, आवक/जावक समायोजन लेखे
राज्य वित्त विभाग से प्राप्त बजट आंकड़े
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय
समेकित आंकड़ों की वैधता
निधि के पुनर्विनियोग तथा समर्पण पर बजट दस्तावेज एवं सूचना की वैधता
प्रक्रियान्वयन
वार्षिक वित्त एवं विनियोग लेखे
लेखे एक दृष्टि में
मासिक सिविल लेखा
मसिक विनियोग लेखा
प्रबंधन सूचना प्रणाली रिपोर्ट, व्यय एवं त्रैमासिक मुल्यांकन टीप पर विवरणें

1.3 वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे–

1.3.1 *वित्त लेखे–*

वित्त लेखे में, लेखाओं में अभिलेखित राजस्व तथा पूंजीगत लेखाओं, लोक ऋण तथा लोक लेखा शेषों द्वारा उजागर वित्तीय परिणामों के साथ–साथ उस वर्ष में सरकार की प्राप्तियां तथा संवितरण इंगित किये जाते हैं। वित्त लेखे को ज्यादा व्यापक तथा सूचनात्मक बनाने के लिए, इन्हें दो खण्डों में तैयार किया गया है। वित्त लेखे के खण्ड–I में, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र, सकल प्राप्तियों तथा संवितरणों की सारांश विवरणियां एवं महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों, लेखाओं तथा अन्य मदों की गुणवत्ता को समाहित करती 'लेखाओं पर टिप्पणियां' का समावेश किया जाता है। खण्ड–II के अंतर्गत, विस्तृत विवरणियां (भाग–I) तथा परिशिष्ट (भाग–II) समावेश किए जाते हैं।

भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्य आयोजना में ₹ 20,562.86 करोड़ हस्तांतरित किया गया, जिसमें ₹ 12,985.82 करोड़ राज्य को सीधा आबंटित किया गया। ₹ 6,381.79 करोड़ का प्रत्यक्ष भुगतान विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरणों/अशासकीय सगठनों को किया गया जिनके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं था एवं ₹ 1,195.25 करोड़ राज्य में स्थित केन्द्रीय निकायों एवं साथ ही साथ अन्य विभिन्न संगठनों को आबंटित किया गया जिनके लिए राज्य बजट में कोई व्यवस्था नहीं थी। इसलिए ₹ 7,577.04 करोड़ (₹ 6,381.79 करोड़ + ₹ 1,195.25 करोड़) को राज्य लेखे में नहीं दर्शाया गया है। ये हस्तांतरण वित्त लेखे के खंड–2 के परिशिष्ट–VI में प्रदर्शित किए गए हैं।

1.3.2 *वर्ष 2018–19 की वित्तीय झलकियां –*

वर्ष 2018–19 के वास्तविक वित्तीय परिणाम के साथ–साथ बजट अनुमानों को निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया हैः–

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मद	बजट अनुमान 2018–19	वास्तविक आंकड़े	वास्तविक आंकड़ों का प्रतिशत	
				बजट अनुमान से	स.रा.घ.उ.[1]से
1	कर राजस्व[2]	48,984.97	44,885.95	91.63	14.40
2	गैर कर राजस्व	8,170.00	7,703.02	94.28	2.47
3	सहायता अनुदान तथा अंशदान	15,713.00	12,505.96	79.59	4.01
4	**राजस्व प्राप्तियां (1+2+3)**	**72,867.97**	**65,094.93**	**89.33**	**20.89**
5	ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियां	314.02	162.32	51.69	0.05
6	उधार और अन्य दायित्व	9,914.14	8,292.23[3]	83.64	2.66
6अ	पूंजीगत प्राप्तियां	0.00	5.83	0.00	0.00
7	**पूंजीगत प्राप्तियां (5+6)**	**10,228.16**	**8,460.38**	**82.65**	**2.71**
8	**कुल प्राप्तियां (4+7)**	**83,096.13**	**73,555.31**	**88.52**	**23.60**
9	**राजस्व व्यय**	**68,422.62**	**64,411.17**	**94.14**	**20.67**
10	**पूंजीगत व्यय**	**14,453.93**	**9,144.14[4]**	**63.26**	**2.93**
11	**कुल व्यय (9+10)**	**82,876.55**	**73,555.31**	**88.75**	**23.60**
12	**राजस्व घाटा/आधिक्य {4–9}**	**4,445.35**	**683.76**	**15.38**	**0.22**
13	**राजकोषीय घाटा {4+5+6अ–11}**	**9,694.56**	**8,292.23**	**85.53**	**2.66**

1.आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राज्य शासन से सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 3,11,659.54 करोड़ की जानकारी प्राप्त हुई।
2.संघीय करों के राज्यांश की राशि ₹ 23,458.69 करोड़ तथा राज्य के स्वयं के कर राजस्व ₹ 21,427.26 करोड़ सम्मिलित हैं।
3.उधार एवं अन्य दायित्व ₹ 8,292.23 करोड़ में निवल लोक ऋण (₹ 13,224.21 करोड़), लोक लेखा (₹ 5,243.94 करोड़), निवल आकस्मिकता निधि (₹ (-)4.92 करोड़) एवं निवल रोकड़ शेष (₹ 316.88 करोड़) सम्मिलित है।
4.पूंजीगत व्यय ₹ 9,144.14 करोड़ में निवल पूंजीगत व्यय (₹ 8,903.45 करोड़), ऋण एवं अग्रिम (₹ 240.44 करोड़) तथा अंतर्राज्यीय समाशोधन (₹ 0.25 करोड़) सम्मिलित है।

वर्ष 2018–19 के दौरान ₹ 683.76 करोड़ का राजस्व आधिक्य (2017–18 में ₹ 3,417.32 करोड़ का आधिक्य) एवं ₹ 8,292.23 करोड़ का राजकोषीय घाटा (2017–18 में ₹ 6,810.00 करोड़ का घाटा) यह दर्शाता है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्रमशः 0.22 प्रतिशत एवं 2.66 प्रतिशत है। राजकोषीय घाटा कुल व्यय का 11.27 प्रतिशत रहा।

1.3.3 वर्ष 2018–19 में प्राप्तियां एवं संवितरण–

वित्त लेखे 2018–19 में वर्णित छत्तीसगढ़ शासन के प्राप्तियां एवं संवितरण का विवरण निम्नानुसार हैः

(₹ करोड़ में)

प्राप्ति *(कुलः ₹ 73,555.31)*	*राजस्व* (कुलः ₹ 65,094.93)	**कर राजस्व**	**44,885.95**
		(अ) स्वयं का कर राजस्व	21,427.26
		(ब) करों की निवल आय का शेयर	23,458.69
		करेत्तर राजस्व	**7,703.02**
		सहायता अनुदान	**12,505.96**
	पूंजीगत (कुलः ₹ 8,460.38)	**पूंजीगत प्राप्तियां**	**5.26**
		ऋण तथा अग्रिम की वसूलियां	**162.32**
		उधार एवं अन्य दायित्व(*)	**8,292.23**
		अन्तर्राज्यीय समाशोधन	**0.57**
संवितरण *(कुलः ₹ 73,555.31)*	**राजस्व**		**64,411.17**
	पूंजीगत		**8,903.45**
	उधार और अग्रिम		**240.44**
	अन्तर्राज्यीय समाशोधन		**0.25**

(*)उधार और अन्य दायित्वः–निवल लोक ऋण+निवल आकस्मिकता निधि+निवल लोक लेखा+निवल रोकड़ शेष।

1.3.4. विनियोग लेखे–

संविधान के अंतर्गत यह प्रावधान है कि कोई भी व्यय विधायिका के प्राधिकरण के बिना नहीं किया जा सकता है। संविधान में वर्णित कुछ ऐसे व्ययों को छोड़कर, जिन्हें समेकित निधि को प्रभारित किया जाता है तथा विधायिका के वोट के बिना खर्च किया जा सकता है, बाकी अन्य सभी व्यय का 'दत्तमत' होना आवश्यक है। छत्तीसगढ़ सरकार के बजट में 45 प्रभारित विनियोजन तथा 69 दत्तमत अनुदान हैं। विनियोग लेखाओं का उद्देश्य यह है कि विनियोग के साथ संकलित किए गए वास्तविक व्यय को किस सीमा तक प्रतिवर्ष के विनियोग अधिनियम के माध्यम से विधायिका द्वारा प्राधिकृत किया गया है।

1.3.5. बजट तैयारी की दक्षता–

वर्ष के अंत में छत्तीसगढ़ सरकार की सकल व्यय, विधानमंडल द्वारा स्वीकृत बजट के विरूद्ध ₹ 29,437 करोड़ (₹ 1,05,171 करोड़ के बजट अनुमानों का 28 प्रतिशत) की निवल बचत और ₹ 1,123 करोड़ का आधिक्य (₹ 2,156 करोड़ के बजट अनुमानों का 52 प्रतिशत) को दर्शाया गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज्य विधानमंडल, परिवहन से संबंधित कुछ अनुदानों में पर्याप्त बचत दिखाई गई।

1.4 निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग

1.4.1 अर्थोपाय अग्रिम

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ बनाए रखे जाने वाले अपेक्षित न्यूनतम नकद शेषों (₹ 0.72 करोड़) में कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम लिये जाते हैं। वर्ष 2018–19 के दौरान राज्य शासन द्वारा ऐसी कोई भी सुविधा का लाभ नहीं लिया गया है।

1.4.2 भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ बनाये रखे जाने वाले न्यूनतम नकद शेषों (₹ 0.72 करोड़) में कमी को पूरा करने के लिये राज्य सरकार द्वारा अर्थोपाय अग्रिम लेने के बावजूद यदि कमी रहती है तो भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया जाता है। वर्ष 2018–19 के दौरान राज्य सरकार द्वारा कोई भी ओवरड्राफ्ट नहीं लिया गया।

1.4.3 निधियों के प्रवाह का विवरण

31 मार्च 2019 की स्थिति में राज्य के पास ₹ 683.76 करोड़ का राजस्व आधिक्य एवं ₹ 8,292.23 करोड़ का राजकोषीय घाटा था, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद* का 2.66 प्रतिशत है। राज्य सरकार द्वारा वेतन में ₹ 17,174.93 करोड़, ब्याज भुगतान में ₹ 3,652.60 करोड़, पेंशन में ₹ 5,403.09 करोड़, आर्थिक सहायता में ₹ 8,323.01 करोड़ तथा सहायता अनुदान में ₹ 22,898.67 करोड़ व्यय किए गए हैं।

(*वर्ष 2018–19 का सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 3,11,659.54 करोड़ था तथा आंकड़े सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाईट से लिए गए हैं।)

(₹ करोड़ में)

निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग		
	विवरण	राशि
स्त्रोत	01.04.2018 को प्रारंभिक नकद शेष	637.60
	राजस्व प्राप्तियां	65,094.93
	पूंजीगत प्राप्तियां	5.26
	कर्ज तथा अग्रिमों की वसूलियां	162.32
	लोक ऋण	14,370.10
	अल्प बचतें, भविष्य निधियां तथा अन्य	1,649.09
	आरक्षित एवं शोधन निधियां	1,024.82
	जमा प्राप्ति	3,692.51
	सिविल अग्रिम प्राप्ति	425.82
	उचन्त लेखे	1,59,728.76*
	प्रेषण	9,858.07
	अन्तर्राज्यीय समाशोधन	0.57
	आकस्मिकता निधि	(–)4.92
	योग	**2,56,644.93**
अनुप्रयोग	राजस्व व्यय	64,411.17
	पूंजीगत व्यय	8,903.45
	प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम	240.44
	लोक ऋण का पुर्नभुगतान	1,145.89
	अल्प बचतें, भविष्य निधियां तथा अन्य	894.58
	आरक्षित तथा शोधन निधियां	959.50
	जमा वापसी	3,923.90
	प्रदत्त सिविल अग्रिम	425.82
	उचंत लेखे एवं विविध	1,65,438.71**
	प्रेषण	9,980.50
	अन्तर्राज्यीय समाशोधन	0.25
	31.03.2019 को नकद अंतशेष	320.72
	योग	**2,56,644.93**

* नकद शेष निवेश लेखा में ₹ 99,263.06 करोड़ शामिल है। **नकद शेष निवेश लेखा में ₹ 1,04,951.23 करोड़ शामिल है।

1.4.4 ₹ कहाँ से आया

वास्तविक प्राप्तियां

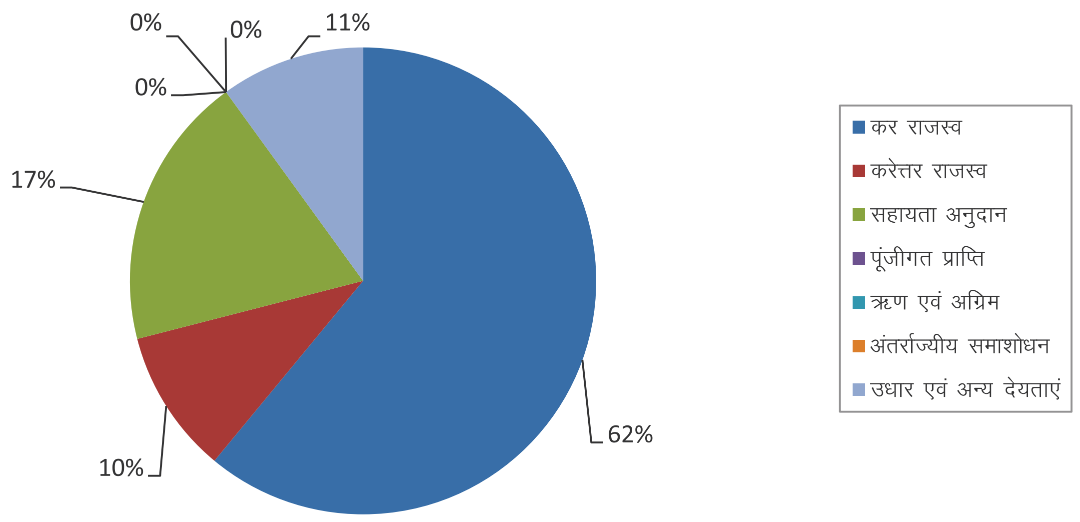

(पूंजीगत प्राप्तियां, अंतर्राज्यीय समाशोधन एवं ऋण की वसूली तथा अग्रिम की राशि नगण्य थी, इसलिए इसे शून्य दर्शाया गया है।)

1.4.5 ₹ कहाँ गया

वास्तविक व्यय

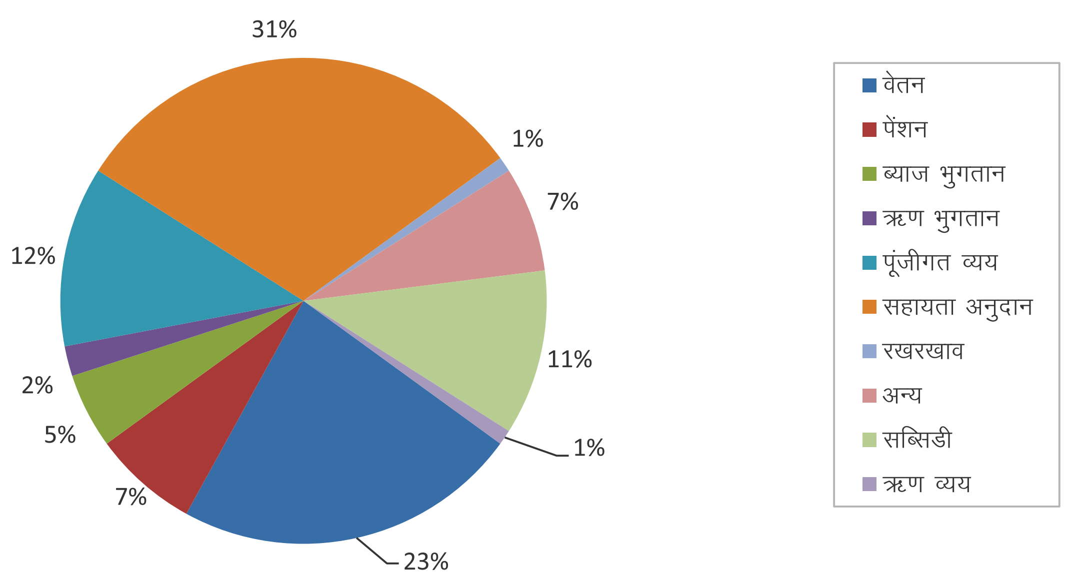

वर्ष 2018–19 के दौरान, ₹ 683.76 करोड़ का राजस्व आधिक्य (वर्ष 2017–18 में ₹ 3,417.32 करोड़ का आधिक्य) एवं ₹ 8,292.23 करोड़ का राजकोषीय घाटा (वर्ष 2017–18 में ₹ 6,810.32 करोड़ का घाटा) सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्रमशः 0.22 प्रतिशत तथा 2.66 प्रतिशत दर्शाता है। राजकोषीय घाटा कुल व्यय का 11.27 प्रतिशत रहा।

घाटा एवं आधिक्य क्या इंगित करते हैं?	
घाटा	राजस्व तथा व्यय के बीच के अंतर से संबंधित है। घाटे का स्वरूप, घाटा वित्त पोषण कैसे हो तथा निधियों का अनुप्रयोग वित्तीय–प्रबंधन में दूरदर्शिता के महत्वपूर्ण संकेतक हैं।
राजस्व घाटा/आधिक्य	राजस्व प्राप्तियां एवं राजस्व व्यय के बीच के अन्तर को दर्शाता है। राजस्व व्यय की आवश्यकता सरकार की वर्तमान स्थापना के रख–रखाव हेतु होती है तथा आदर्श स्वरूप राजस्व प्राप्तियों से ही इसे पूर्णतया वहन किया जाना चाहिए।
राजकोषीय घाटा/आधिक्य	सकल प्राप्तियों (उधारियों रहित) तथा सकल व्यय के बीच के अंतर को दर्शाता है। यह अंतर इसलिए यह इंगित करता है कि व्यय को किस हद तक उधारी द्वारा वित्तपोषित किया गया और आदर्श स्वरूप इसे पूंजीगत परियोजनाओं में निवेशित किया जाना चाहिए।

1.5 राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम, 2005

घाटा संकेतक, राजस्व संवर्धन तथा व्यय प्रबंधन सरकार की राजकोषीय कार्यशैली को जॉचने के मुख्य मापदंड हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम, 2005 को लागू किया है। इस अधिनियम के अंतर्गत, राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट अवधि में नियत राजकोषीय लक्ष्यों को प्राप्त करना था। वर्ष 2018–19 के दौरान अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाये नियमों में दिये राजकोषीय लक्ष्यों पर उपलब्धियां निम्न प्रकार थी:–

क्र.सं.	वित्तीय मापदण्ड	वास्तविक (₹ करोड़ में)	जी.एस.डी.पी. का अनुपात*	
			लक्ष्य	उपलब्धि
1	राजस्व घाटा	684 (अधिशेष)	अधिशेष	अधिशेष (प्राप्त)
2	राजकोषीय घाटा	8,292	3.50 या कम	2.66 (प्राप्त)
3	ऋण और अन्य दायित्व	66,749.51	25.00 या कम	21.42 (प्राप्त)

*भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट से वर्ष 2018–19 का सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 3,11,659.54 करोड़ की जानकारी प्राप्त हुई।

राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवश्यक प्रकटीकरण विधानमंडल में प्रस्तुत किये। वर्ष 2017–18 में राज्य शासन का राजस्व आधिक्य ₹ 3,417.32 करोड़ था तथा वर्ष 2018–19 में राजस्व आधिक्य ₹ 683.76 करोड़ रहा जो कि एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के लक्ष्यों के अनुरूप था। वर्ष 2017–18 में राजकोषीय घाटा ₹ 6,810.32 करोड़ था जो ₹ 1,481.91 करोड़ बढ़कर वर्तमान वित्त वर्ष में ₹ 8,292.23 करोड़ हो गया जो एफ. आर. बी. एम. अधिनियम के 3 प्रतिशत लक्ष्य को पूर्ण करते हुए जी. एस. डी. पी. का 2.66 प्रतिशत रहा।

1.5.1 राजस्व घाटे/आधिक्य के रूझान

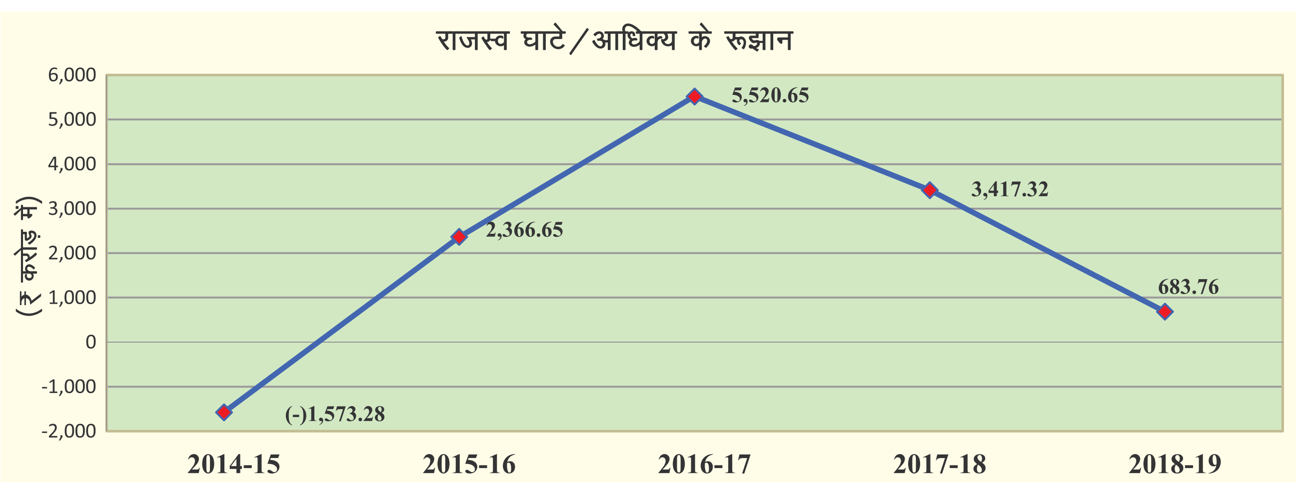

1.5.2 राजकोषीय घाटे का रूझान–

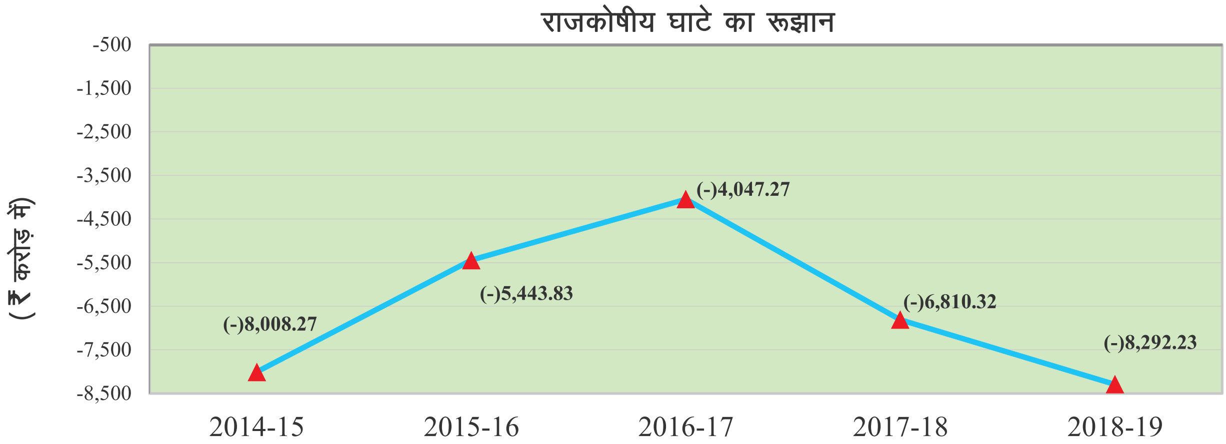

1.5.3 उधार निधि से पूंजीगत व्यय पर खर्च का अनुपात–

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उधार निधि	पूंजीगत व्यय
2014–15	6,439.67	6,544.25
2015–16	7,251.15	7,945.01
2016–17	5,479.93	9,470.51
2017–18	9,652.44	10,000.96
2018–19	14,370.10	8,903.45

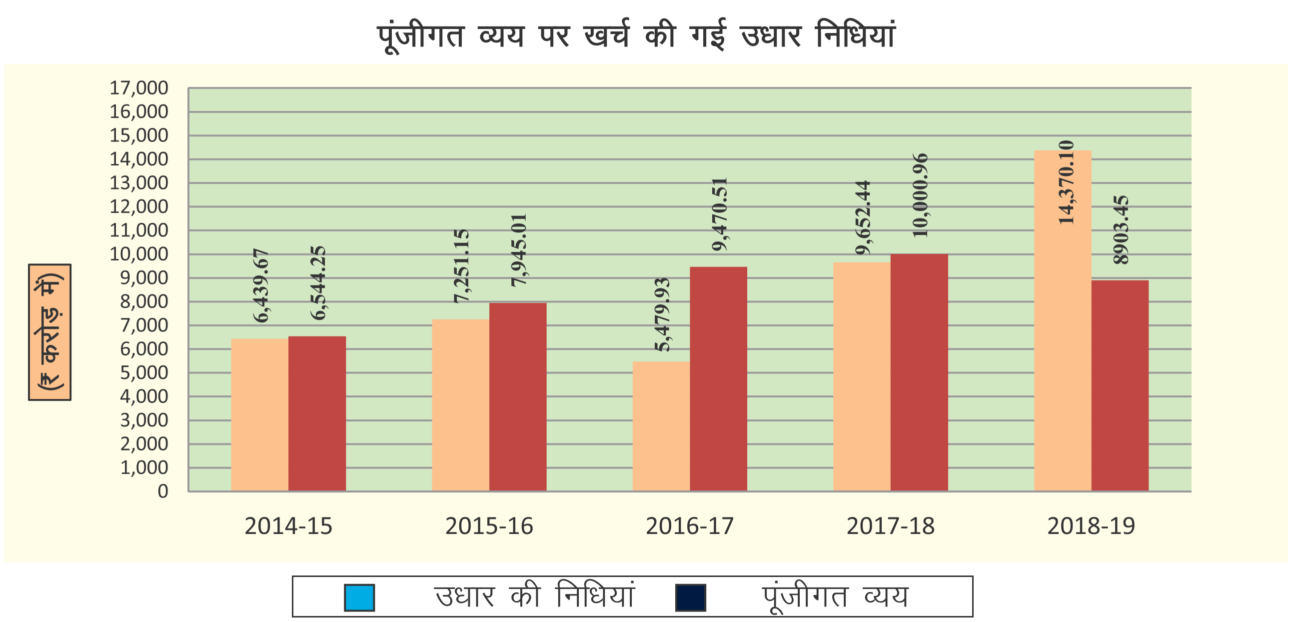

सरकार आमतौर पर राजकोषीय घाटे पर चलती है और पूंजी/परिसंपत्तियां बनाने के लिए या आर्थिक और सामाजिक अधोसंरचना के सृजन के लिए धन उधार लेती है, ताकि उधार के माध्यम से बनाई गई संपत्ति से आय प्राप्त करें, जिससे ऋण का भुगतान स्वंय कर सके। इस प्रकार पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए उधार ली गई निधियों का पूरी तरह उपयोग करना और मूलधन एवं ब्याज की अदायगी के लिए राजस्व प्राप्तियों का उपयोग करना वांछित है। राज्य शासन ने वर्तमान वर्ष में ₹ 14,370.10 करोड़ के उधार की निधियों में से ₹ 8,903.45 करोड़ पूंजीगत व्यय पर खर्च किये।

अध्याय–2

प्राप्तियाँ

2.1 परिचय

सरकार की प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियों एवं पूंजीगत प्राप्तियों में वर्गीकृत किया जाता है। वर्ष 2018–19 में कुल प्राप्तियां ₹ 73,555.31 करोड़ थी।

2.2 राजस्व प्राप्तियां

सरकार के राजस्व प्राप्तियों के मुख्यतः तीन घटक हैं:–कर राजस्व, गैर कर राजस्व तथा संघ सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान।

कर राजस्व	इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा एकत्रित तथा प्रतिधारित कर तथा संविधान के अनुच्छेद 280 (3) के अंतर्गत केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा सम्मिलित होता है।
गैर कर–राजस्व	इसके अतंर्गत ब्याज प्राप्तियां, लाभांश, लाभ, विभागीय प्राप्तियां आदि सम्मलित होते हैं।
सहायता अनुदान	सहायता अनुदान संघ सरकार द्वारा राज्य सरकार को दी गई केन्द्रीय सहायता को अभिव्यक्त करते हैं। इसमें विदेश सरकार से प्राप्त तथा केन्द्र सरकार के माध्यम से सारणीबद्ध ''वैदेशिक सहायता अनुदान'' तथा सहायता, सहायता–सामग्री व उपकरण भी शामिल हैं। इसके बदले में राज्य सरकार पंचायती राज संस्थानों, स्वायत्त निकायों आदि जैसे संस्थानों को सहायता अनुदान भी देती है।

2.2.1 राजस्व प्राप्तियों के घटक (2018–19)

(₹ करोड़ में)

घटक	वास्तविक आंकड़े	राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत
क. कर राजस्व	**44,885.95**	**68.96**
वस्तु तथा सेवा कर	14,454.74	22.20
आय व व्यय पर कर	14,208.08	21.83
सम्पत्ति तथा पूंजीगत लेनदेनों पर कर	1,599.01	2.46
वस्तुओं व सेवाओं पर कर	14,624.12	22.47
ख. गैर कर–राजस्व	**7,703.02**	**11.83**
ब्याज प्राप्तियां, लाभांश व लाभ	191.04	0.29
सामान्य सेवाएं	244.82	0.38
सामाजिक सेवाएं	147.08	0.22
आर्थिक सेवाएं	7,120.08	10.94
ग. सहायता अनुदान एवं अंशदान	**12,505.96**	**19.21**
योग–राजस्व प्राप्तियां	**65,094.93**	**100**

वर्ष 2018–19 के दौरान प्राप्त राजस्व प्राप्तियों में 68.96 प्रतिशत राजस्व कर और 11.83 प्रतिशत गैर कर राजस्व सम्मिलित है जबकि शेष 19.21 प्रतिशत सहायता अनुदान से प्राप्त किया गया है।

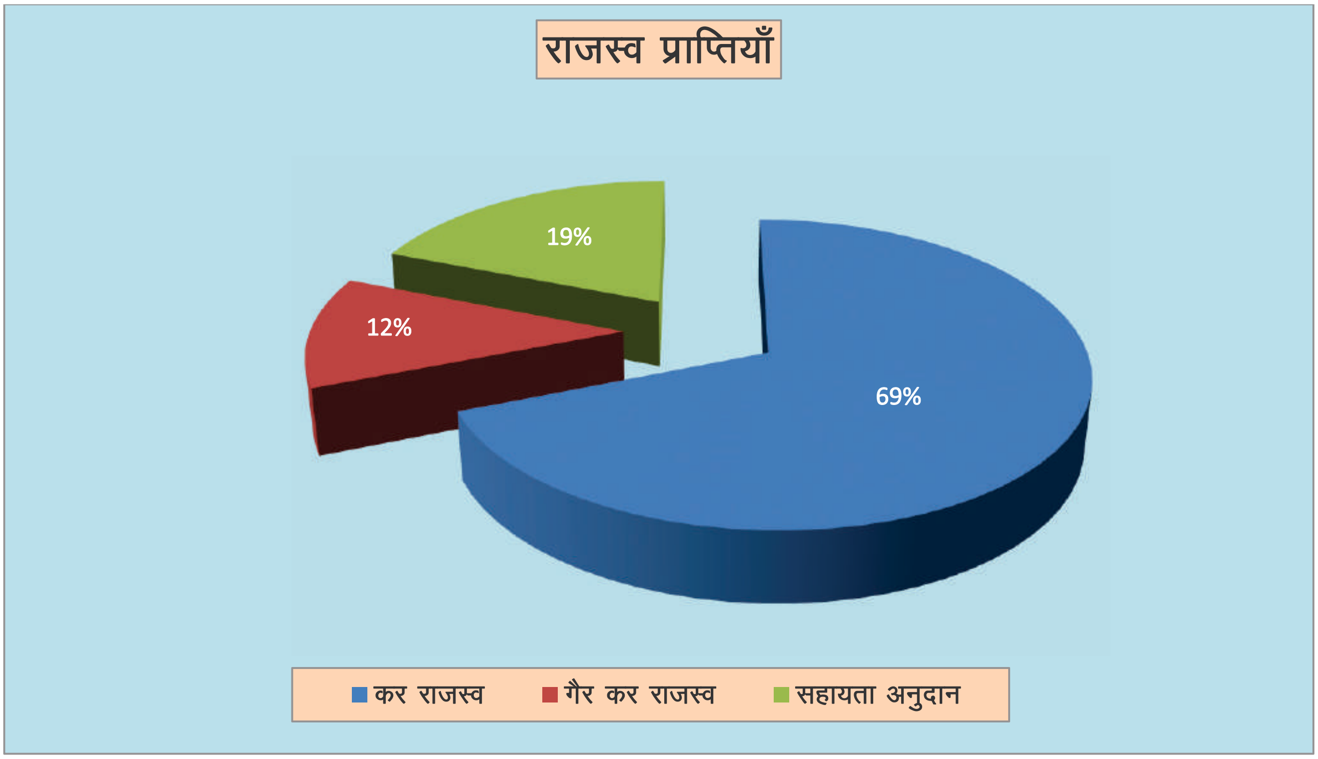

2.2.2 राजस्व प्राप्तियों का रूझान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
कर राजस्व (राज्य द्वारा संग्रहित)	15,707.26 (6.68)	17,074.86 (6.55)	18,945.21 (6.53)	19,894.68 (6.82)	21,427.26 (6.88)
संघ के करों/शुल्कों में राज्य का हिस्सा	8,363.03 (3.56)	15,716.47 (6.03)	18,809.16 (6.48)	20,754.81 (7.12)	23,458.69 (7.53)
गैर कर–राजस्व	4,929.91 (2.10)	5,214.79 (2.00)	5,669.25 (1.95)	6,340.42 (2.17)	7,703.02 (2.47)
सहायता अनुदान	8,987.81 (3.82)	8,061.59 (3.09)	10,261.63 (3.54)	12,657.16 (4.34)	12,505.96 (4.01)
कुल–राजस्व प्राप्तियां	**37,988.01 (16.17)**	**46,067.71 (17.67)**	**53,685.25 (18.50)**	**59,647.07 (20.45)**	**65,094.93 (20.89)**
जी.एस.डी.पी.	**2,34,982.00**	**2,60,776.00**	**2,90,140.00**	**2,91,680.72**	**3,11,659.54**

टिप्पणीः–: लघु कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता दर्शाते हैं।

हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2018–19 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 6.85 प्रतिशत की वद्धि हुई है, जबकि राजस्व संग्रहण में वृद्धि केवल 9.13 प्रतिशत की रही। पिछले वर्ष की तुलना में कर राजस्व एवं गैर राजस्व में क्रमशः 7.70 प्रतिशत तथा 21.49 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि सहायता अनुदान में 1.19 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

राजस्व प्राप्तियों के घटकों की प्रवृत्ति

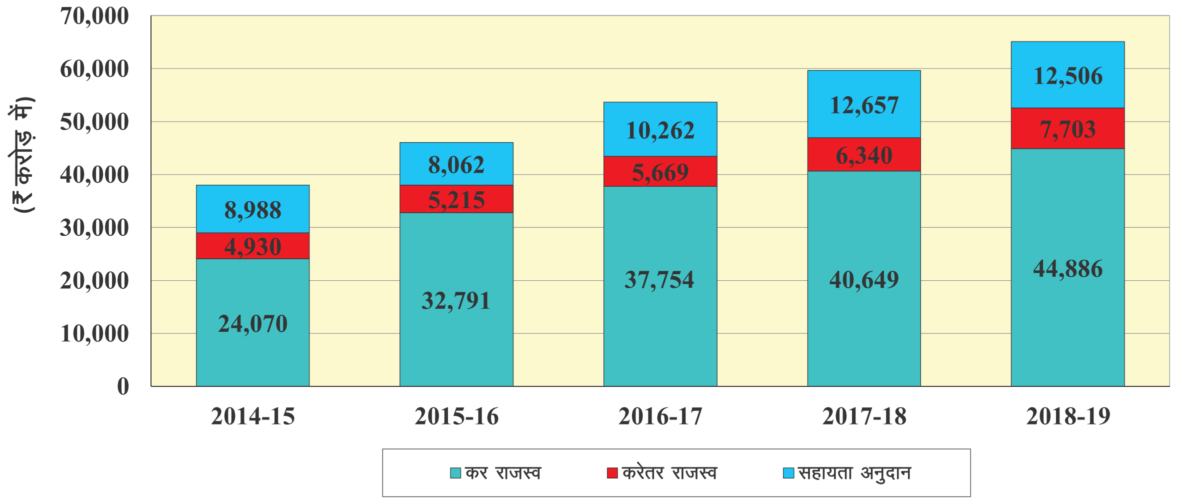

2.3 कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

क्षेत्रवार राजस्व प्राप्तियां					
विवरण	**2014–15**	**2015–16**	**2016–17**	**2017–18**	**2018–19**
वस्तु तथा सेवा कर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	6,772.36 (2.32)	14,454.74 (4.64)
आय व व्यय पर कर	5,013.09 (2.13)	8,413.19 (3.23)	10,212.43 (3.52)	11,721.47 (4.02)	14,208.08 (4.56)
सम्पत्ति तथा पूंजीगत लेन देनों पर कर	1,362.77 (0.58)	1,549.98 (0.59)	1,728.79 (0.59)	1,643.69 (0.56)	1,599.01 (0.51)
वस्तुओं व सेवाओं पर कर	17,694.43 (7.53)	22,828.16 (8.75)	25,813.15 (8.90)	20,511.97 (7.03)	14,624.12 (4.69)
कुल–कर राजस्व	**24,070.29 (10.24)**	**32,791.33 (12.57)**	**37,754.37 (13.01)**	**40,649.49 (13.94)**	**44,885.95 (14.40)**
जी.एस.डी.पी.	**2,34,982.00**	**2,60,776.00**	**2,90,140.00**	**2,91,680.72**	**3,11,659.54**

टिप्पणीः–: लघु कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता दर्शाते हैं।

वर्ष 2018–19 में सकल कर राजस्व में बढ़ोतरी भारत सरकार से केन्द्रीय वस्तु तथा सेवा कर के तहत राज्य अंश प्राप्त होने (₹ 5,789.33 करोड़), राज्य वस्तु तथा सेवा कर के अधिक प्राप्त होने (₹ 8,203.41 करोड़), निगम कर (₹ 8,157.09 करोड़), निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर (₹ 6,007.35 करोड़), राज्य उत्पाद शुल्क (₹ 4,489.03 करोड़), व्यापार, बिक्री इत्यादि पर कर (₹ 4,087.72 करोड़) के प्राप्त हाने के कारणों से रही।

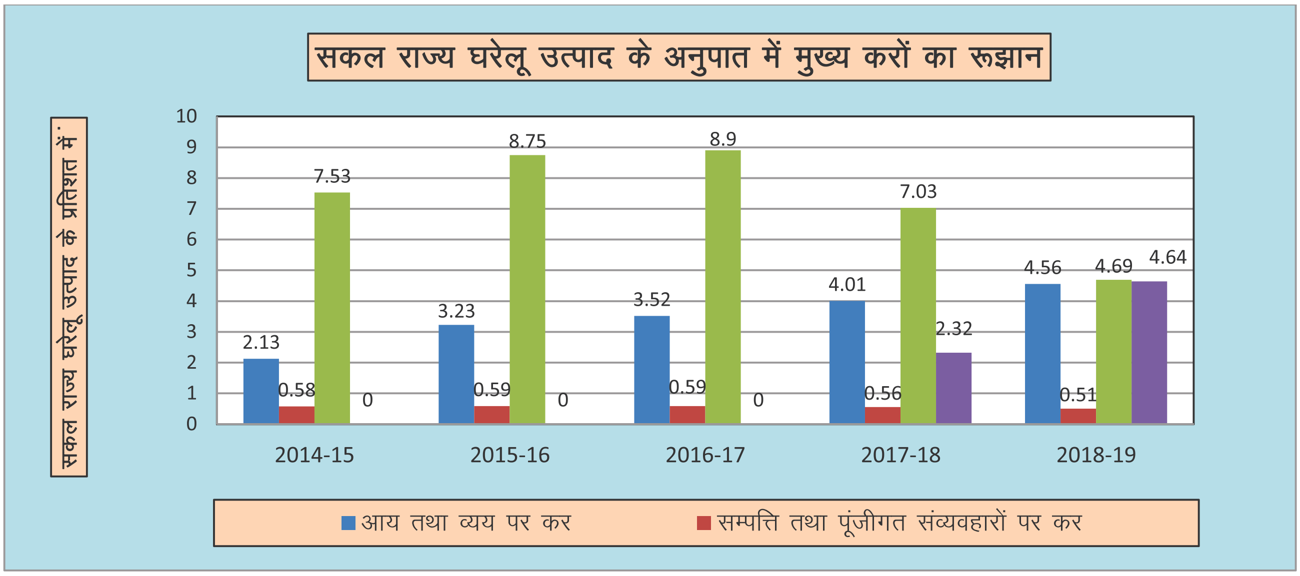

2.3.1 राज्य के स्वयं के कर एवं संघीय करों में राज्य का हिस्सा

राज्य सरकार का कर राजस्व दो स्रोतों अर्थात राज्य के स्वंय के कर संग्रह और संघ करों के अंतरण से आता है।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कर राजस्व	संघ करों में राज्य का अंश	राज्य के स्वंय का कर राजस्व	
			कर राजस्व	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत
2014–15	24,070.29	8,363.03	15,707.26	6.68
2015–16	32,791.33	15,716.47	17,074.86	6.55
2016–17	37,754.37	18,809.16	18,945.21	6.53
2017–18	40,649.49	20,754.81	19,894.68	6.82
2018–19	44,885.95	23,458.69	21,427.26	6.88

निम्नलिखित सारणी पांच वर्षों की अवधि में दोनों स्त्रोतों से प्राप्त कर राजस्व राशि की तुलनात्मक स्थिति को दर्शाती है–

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
राज्य का स्वयं कर संग्रहण	15,707.26	17,074.86	18,945.21	19,894.68	21,427.26
संघ करों का अंतरण	8,363.03	15,716.47	18,809.16	20,754.81	23,458.69
कुल कर राजस्व	24,070.29	32,791.33	37,754.37	40,649.49	44,885.95
कुल कर राजस्व में राज्य के स्वयं के कर का प्रतिशत	65	52	50	49	48

सम्पूर्ण कर राजस्व में राज्य के स्वंय के कर संग्रहण का अनुपात वर्ष 2014–15 में 65 प्रतिशत से लगातार कम हो रहा है जो वर्ष 2015–16 में घटकर 52 प्रतिशत, वर्ष 2016–17 में 50 प्रतिशत, वर्ष 2017–18 में 49 प्रतिशत एवं वर्ष 2018–19 में 48 प्रतिशत रहा।

2.3.2 पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य के स्वयं के कर संग्रहण का रूझान

(₹ करोड़ में)

कर	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
1. बिक्री एवं व्यापार आदि पर कर	8,428.61	8,908.36	9,927.21	6,449.60	4,087.72
2. राज्य उत्पाद शुल्क	2,892.45	3,338.40	3,443.51	4,054.00	4,489.03
3. वाहनों पर कर	703.48	829.22	985.27	1,180.01	1,204.85
4. स्टांप तथा पंजीकरण शुल्क	1,023.33	1,185.22	1,211.35	1,197.47	1,108.46
5. विद्युत पर कर एवं शुल्क	1,312.93	1,372.84	1,495.48	1,688.96	1,790.27
6. भू–राजस्व	331.56	363.84	503.66	446.41	487.57
7. माल तथा यात्री कर	981.88	1,040.26	1,340.36	477.66	54.51
8. राज्य वस्तु एवं सेवा कर	–	–	–	4,386.56	8,203.41
9. अन्य कर	33.02	36.72	38.37	14.01	1.44
राज्य के स्वयं के कुल कर	**15707.26**	**17,074.86**	**18,945.21**	**19,894.68**	**21,427.26**

2.4 कर वसूली पर लागत

(₹ करोड़ में)

कर	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
1. बिक्री एवं व्यापार आदि पर कर (0040) एवं (2040)					
राजस्व संग्रहण	8,428.61	8,908.36	9,927.21	6,449.60	4,087.72
संग्रहण पर व्यय	48.54	51.22	56.71	67.33	62.73
कर वसूली पर लागत	0.58	0.57	0.57	1.04	1.53
2. राज्य उत्पाद शुल्क (0039) एवं (2039)					
राजस्व संग्रहण	2,892.45	3,338.40	3,443.51	4,054.00	4,489.03
संग्रहण पर व्यय	59.74	5,879.00	131.45	171.67	71.66
कर वसूली पर लागत	2.07	1.76	3.82	4.23	1.60
3. वाहन, वस्तु तथा यात्री कर (0041) एवं (2041)					
राजस्व संग्रहण	703.48	829.22	985.27	1,180.01	1,204.85
संग्रहण पर व्यय	12.42	12.85	14.95	15.52	18.86
कर वसूली पर लागत	1.77	1.55	1.52	1.32	1.57
4. स्टांप तथा पंजीकरण शुल्क (0030) एवं (2030)					
राजस्व संग्रहण	1,023.33	1,185.21	1,211.35	1,197.47	1,108.46
संग्रहण पर व्यय	26.98	25.12	24.77	22.26	18.38
कर वसूली पर लागत	2.64	2.12	2.04	1.86	1.66

अन्य करों की तुलना में राज्य उत्पाद शुल्क पर कर के संग्रहण का व्यय अधिक था।

2.5 संघीय करों में राज्य के अंश का पिछले पांच वर्षों का रूझान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर	0.00	0.00	0.00	291.44	5,789.33
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर	0.00	0.00	0.00	2,094.36	462.00
निगम कर	2,920.41	4,950.08	6,019.53	6,352.98	8,157.09
निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर	2,085.45	3,455.09	4,183.59	5,364.62	6,007.35
आय एवं व्यय पर अन्य कर	0.00	0.00	0.00	0.00	42.48
सम्पत्ति कर	7.88	0.92	13.78	(–)0.19	2.98
सीमा शुल्क	1,352.54	2,504.03	2,589.37	2,093.70	1,662.66
संघ उत्पाद शुल्क	763.73	2,069.99	2,956.84	2,188.50	1,104.93
सेवा कर	1,232.95	2,727.11	3,045.99	2,369.40	217.76
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	00	9.16	0.06	0.00	12.11
संघीय करों का राज्यांश	**8,363.03**	**15,716.47**	**18,809.16**	**2,0754.81**	**23,458.69**
कुल राजस्व कर	**24,070.29**	**32,791.33**	**37,754.37**	**4,0649.49**	**44,885.95**
कुल कर राजस्व में संघीय करों का प्रतिशत	35	48	50	51	52

छत्तीसगढ़ शासन ने वर्ष 2014–15 से 2018–19 के दौरान सभी साझा योग्य संघ करों/शुल्कों के निवल प्राप्ति से कर राजस्व में 35 प्रतिशत से 51 प्रतिशत के बीच अंश प्राप्त किया ।

2.6 सहायता अनुदान

सहायता अनुदान, भारत सरकार से प्राप्त सहायता राशि को अभिव्यक्त करते हैं तथा इसमें नीति आयोग द्वारा अनुमोदित राज्य योजनाओं, केन्द्रीय योजनाओं तथा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत प्रदत्त अनुदान तथा वित्त आयोग द्वारा संस्तुत किए गए राज्य अनुदान समाहित हैं।

वर्ष 2018–19 के दौरान सहायता अनुदान के अंतर्गत कुल प्राप्तियां कुल ₹ 12,505.96 करोड़ थी, जो नीचे दर्शायी गयी है:–

सहायता अनुदान

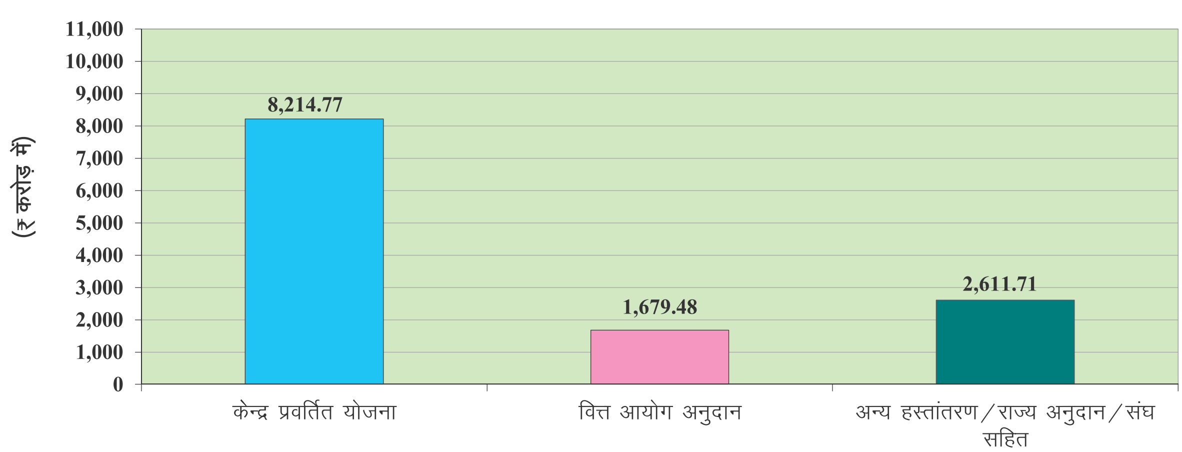

वर्ष 2018–19 से योजनागत और गैर–योजनागत योजनाओं के बीच अंतर के समाप्त होने के कारण भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदानों को तीन श्रेणियों अर्थात ''केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान'', ''वित्त आयोग अनुदान'' और ''राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों (विधानमंडल सहित) को अन्य हस्तांतरण/अनुदान'' में प्राप्त किया जाता है। भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान वर्ष 2017–18 में ₹ 12,657.16 करोड़ से घटकर वर्ष 2018–19 में ₹ 12,505.96 करोड़ हो गई अर्थात कुल 1.19 प्रतिशत की कमी हुई।

सहायता अनुदान का रूझान

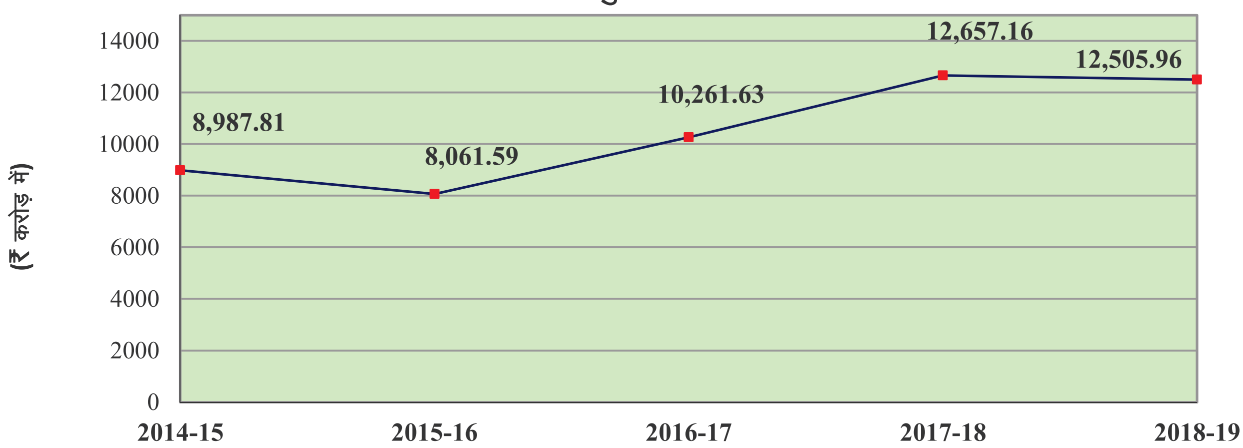

2.7 लोक ऋण

पिछले पांच वर्षों में लोक ऋण का रूझानः–

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
आंतरिक ऋण	18,194.80	24,214.56	28,330.29	36,690.44	49,553.83
केन्द्रीय ऋण	1,854.38	1,835.59	2,047.16	2,339.57	2,700.39
योग	**20,049.18**	**26,050.15**	**30,377.45**	**39,030.01**	**52,254.22**

वर्ष 2018–19 में खुले बाजार से 7.43 से 8.18 प्रतिशत की ब्याज दरों पर ₹ 12,900.00 करोड़ के 15 ऋण लिए गए जो वर्ष 2026–27 की अवधि में प्रतिदेय हैं। साथ ही राज्य सरकार ने नाबार्ड से ₹ 916.67 करोड़ का ऋण लिया। इस प्रकार वर्ष 2018–19 में शासन द्वारा ₹ 13,816.67 करोड आंतरिक ऋण लिया गया। शासन ने भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम के रूप में ₹ 553.44 करोड़ का ऋण भी प्राप्त किया।

2.7.1 ऋण सेवा अनुपात

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान विमुक्त राशि	ब्याज भुगतान	कुल सेवा भुगतान	31.03.2019 तक अंत शेष राशि	ऋण सेवा अनुपात
6003–राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	953.27	2,958.53	3,911.80	49,553.83	7.89 : 100
6004–केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण तथा अग्रिम	192.62	139.48	332.10	2,700.39	12.30 : 100
कुल लोक ऋण	**1,145.89**	**3,098.01**	**4,243.90**	**52,254.22**	**8.12 : 100**

2.8. पिछले पांच वर्षों के दौरान निवल लोक ऋण का रूझान

नीचे दी गई सारणी पिछले वर्षों की तुलना में लोक ऋण की निवल वृद्धि को प्रदर्शित करती है जिसकी गणना ''पिछले वर्ष के अंतिम शेष'', ''वर्ष के दौरान प्राप्तियां'' एव ''भुगतान'' को ध्यान में रखकर की जाती है।

(₹ करोड़ में)

मद	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
आंतरिक ऋण	5,251.43	6,019.76	4,115.73	8,360.15	12,863.39
केन्द्रीय ऋण	(–)148.49	(–)18.79	211.57	292.41	360.82
कुल लोक ऋण	**5,102.94**	**6,000.97**	**4,327.30**	**8,652.56**	**13,224.21**

टीपः– 1. ऋणात्मक आंकड़ें प्राप्तियों से अधिक पुर्नभुगतान किया जाना दर्शाता है।
2. शुद्ध आंकड़ें = प्राप्ति–वितरण।

2.9 उधार की निधियां तथा पूंजीगत व्यय

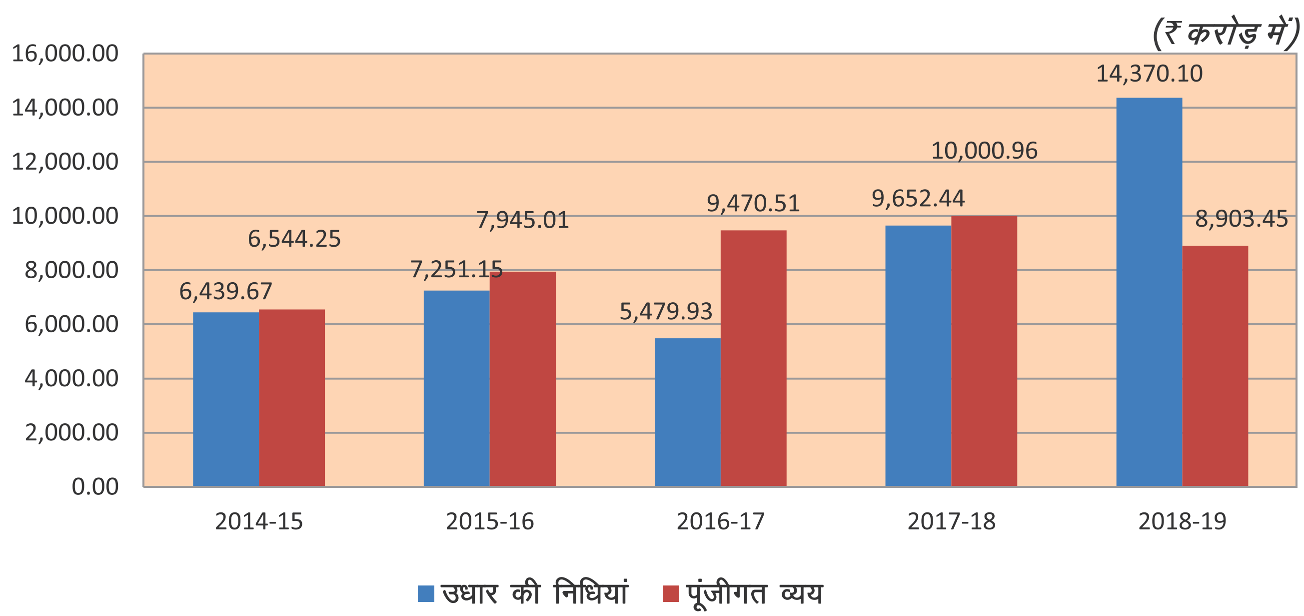

अध्याय–III

व्यय

3.1 परिचय

व्यय को राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय के रूप वर्गीकृत किया गया है। राजस्व व्यय का उपयोग सरकारी तंत्र के दैनिक कार्य–संचालन के लिए किया जाता है। पूंजीगत व्यय को स्थाई परिसंपतियों के सृजन अथवा ऐसी परिसंपतियों की उपयोगिता में वृद्धि या स्थाई दायित्वों को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

सरकारी लेखों में व्यय को मुख्यतः तीन खण्डों में बॉटा गया है:– सामान्य सेवायें, सामाजिक सेवायें तथा आर्थिक सेवायें। इन खण्डों के अंतर्गत आने वाले मुख्य क्षेत्रों में व्यय को निम्न सारणी में दर्शाया गया है।

सामान्य सेवाएं	इसमें न्याय, पुलिस, जेल, लोक निर्माण, पेंशन इत्यादि सम्मिलित है।
सामाजिक सेवाएं	इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, जल आपूर्ति तथा अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण इत्यादि सम्मिलित है।
आर्थिक सेवाएं	इसमें कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, सहकारिता, उर्जा, उद्योग, परिवहन इत्यादि सम्मिलित है।

3.2 राजस्व व्यय

छत्तीसगढ़ शासन के विगत पॉच वर्षों के बजट अनुमान के विरूद्ध वास्तविक व्यय के मध्य अन्तर का प्रतिशत निम्नानुसार है:–

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
बजट अनुमान	46,190.78	53,726.82	56,389.53	61,312.83	68,422.62
वास्तविक व्यय	39,561.29	43,701.06	48,164.60	56,229.75	64,411.17
अन्तर	6,629.49	10,028.76	8,224.93	5,083.08	4,011.45
बजट अनुमान से वास्तविक के अन्तर का प्रतिशत	14	19	15	8	6

ऊपर की सारणी से स्पष्ट है कि बजट अनुमान से वास्तविक व्यय के अन्तर का प्रतिशत वर्ष 2015–16 से गिरावट दर्शाता है तथा इस प्रकार यह बजट की तैयारियों में सुधार को दिखाता है।

3.2.1 प्रतिबद्ध राजस्व व्यय

कुल राजस्व व्यय के लगभग 54 प्रतिशत वेतन एवं मजदूरी पर (₹ 17,663.70 करोड़), ब्याज अदायगी पर (₹ 3,652.60 करोड़), पेंशन पर (₹ 5,403.09 करोड़) तथा अनुदान पर (₹ 8,323.01 करोड़) खर्च किया गया जो कि राज्य सरकार की प्रतिबद्ध देयताएं हैं।

विगत पांच वर्षो के प्रतिबद्ध एवं अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय की स्थिति का विवरण निम्नवत् है:–

(₹ करोड़ में)

घटक	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
कुल राजस्व व्यय	39,561.29	43,701.06	48,164.60	56,229.75	64,411.17
प्रतिबद्ध राजस्व व्यय	18,858.32	24,092.83	21,989.62	25,420.78	26,863.29
कुल राजस्व व्यय में से प्रतिबद्ध राजस्व व्यय का प्रतिशत	48	55	46	45	42
अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय	20,702.97	19,608.23	26,174.98	30,808.97	37,547.88

प्रतिबद्ध राजस्व व्यय में वेतन एवं मजदूरी, ब्याज अदायगी, पेंशन एवं अनुदान का व्यय सम्मिलित हैं।

यह देखा जा सकता है कि विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उपलब्ध अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय 2014–15 में ₹ 20,702.97 करोड़ से 81.36 प्रतिशत बढ़कर 2018–19 में ₹ 37,547.88 करोड़ पहुंच गया। कुल राजस्व व्यय 2014–15 में ₹ 39,561.29 करोड़ से 62.81 प्रतिशत बढ़कर 2018–19 में ₹ 64,411.17 करोड़ हो गया तथा उसी अवधि के लिए प्रतिबद्ध राजस्व व्यय में 42.45 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

3.2.2 राजस्व व्यय का क्षेत्रवार विवरण वर्ष 2018–19

(₹ करोड़ में)

घटक	राशि	प्रतिशत
1. राज्य के अंग	**568.05**	**0.88**
2. सामाजिक सेवाएं	**705.37**	**1.10**
(i) सम्पत्ति तथा पूंजीगत लेनदेन पर कर संग्रहण	312.86	0.49
(ii) वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर संग्रहण	392.51	0.61
(iii) अन्य राजकोषीय सेवाएं	0.00	––
3. ब्याज अदायगी तथा ऋण सेवाएं	**3,752.55**	**5.83**
4. प्रशासनिक सेवाएं	**4,825.81**	**7.49**
5. पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं	**5,428.51**	**8.43**
6. सामाजिक सेवाएं	**23,454.94**	**36.41**
7. आर्थिक सेवाएं	**24,780.79**	**38.47**
8. सहायता अनुदान तथा अंशदान	**895.16**	**1.39**
कुल व्यय (राजस्व लेखा)	**64,411.17**	**100**

ऊपर की सारणी से स्पष्ट है कि राज्य शासन ने अन्य क्षेत्रों की तुलना में आर्थिक क्षेत्र एवं सामाजिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी है तथा कुल व्यय में क्रमशः 38.47 एवं 36.41 प्रतिशत इन पर किया गया है।

3.2.3 राजस्व व्यय के मुख्य घटक (वर्ष 2014–15 से 2018–19)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	घटक	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
1.	सामान्य सेवाएं (ऋण सेवाओं पर व्यय के अतिरिक्त)	8,194	8,960	9,760	10,937	12,423
2.	सामाजिक सेवाएं	15,389	16,339	21,342	24,372	23,454.94
3.	आर्थिक सेवाएं	14,152	16,053	14,176	17,623	24,781
4.	ऋण सेवाएं	1,827	2,349	2,887	3,298	3,753

राजस्व व्यय के मुख्य घटकों का रूझान

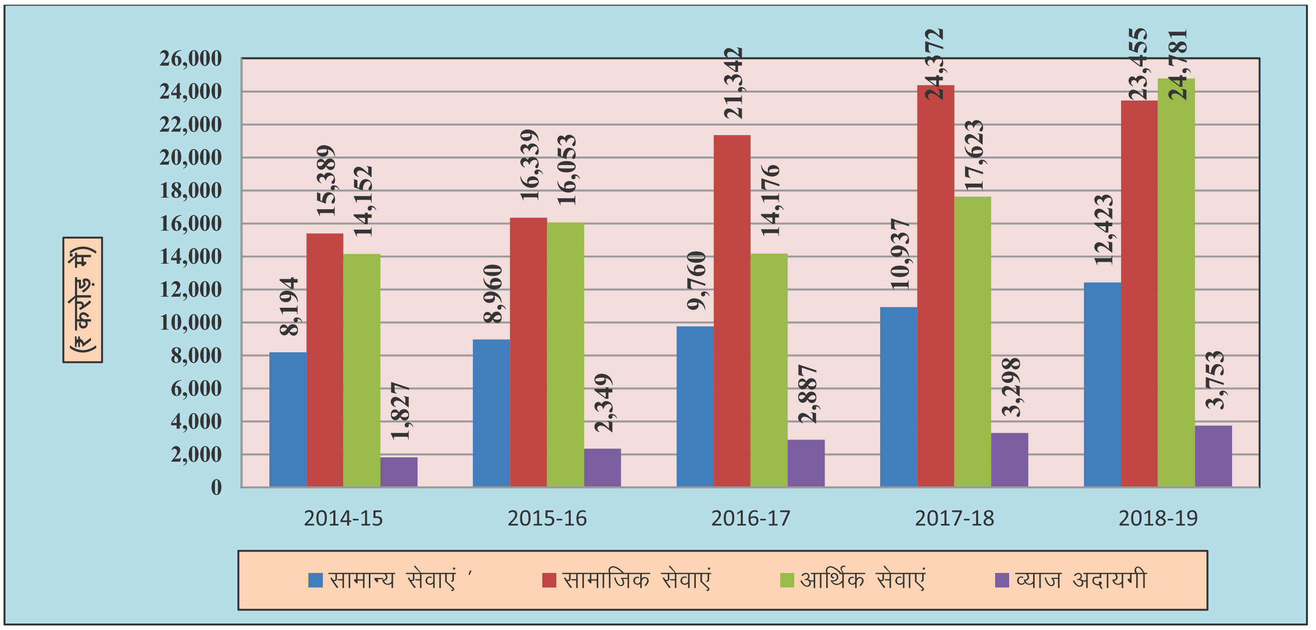

* सामान्य सेवाएं में ब्याज अदायगी (2049) एवं ऋण शोधन (2048) की राशि सम्मिलित नहीं है, स्थानीय निकायों को क्षतिपूर्ति एवं समानुदेशन (3604) की राशि सम्मिलित की गई है।

3.3 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय वृद्धि प्रक्रिया को लगातार बनाये रखने के लिए अत्यंत जरूरी है। वर्ष 2018–19 में ₹ 9,144.14 करोड़ (जी.एस.डी.पी. का 2.93 प्रतिशत) के पूंजीगत व्यय बजट अनुमानों से ₹ 5,309.79 करोड़ कम थे। वर्ष 2014–15 से पूंजीगत व्यय ने सकल राज्य घरेलू उत्पाद के समांतर वृद्धि नहीं की है। इसे निम्नलिखित सारणी में देखा जा सकता है:–

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	घटक	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
1	बजट अनुमान	8,519.12	11,283.12	13,669.18	14,718.79	14,453.93
2	वास्तविक व्यय	6,632.57	8,110.23	9,743.66	10,370.79	9,144.14
3	बजट अनुमान से वास्तविक व्यय का प्रतिशत	77.86	71.88	71.28	70.46	63.26
4	पूंजीगत व्यय में वार्षिक वृद्धि	12.45	22.28	20.14	6.44	(–)11.83
5	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	2,34,982	2,60,776	2,90,140	2,91,681	3,11,659.54
6	सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वार्षिक वृद्धि	13.69	10.98	11.26	0.53	6.85

3.3.1 पूंजीगत व्यय का क्षेत्र–वार विवरण

वर्ष 2018–19 के दौरान राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं में ₹ 1,588.45 करोड़ व्यय किया गया जिसमें वृहद सिंचाई में ₹ 635.56 करोड़, मध्यम सिंचाई में ₹ 65.24 करोड़, लघु सिंचाई में ₹ 848.90 करोड़, कमान क्षेत्र विकास में ₹ 11.38 करोड़ एवं बाढ़ नियंत्रण में ₹ 27.37 करोड़ व्यय किए गए। इसके अतिरिक्त शासन द्वारा सड़क एवं पुल निर्माण पर ₹ 3,765.51 करोड़ खर्च किया गया तथा विभिन्न स्थानीय निगमों/शासकीय अभिकरणों/सहकारिताओं में ₹ 9.62 करोड़ निवेश किए गए।

3.3.2 पिछले पांच वर्षों में पूंजीगत व्यय का क्षेत्रवार वितरण–

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
1	सामान्य सेवाएं	257.74 (4)	362.33 (5)	187.54 (2)	303.33 (3)	255.52 (3)
2	समाजिक सेवाएं	1,559.87 (24)	1,807.01 (22)	2,460.62 (25)	2,651.78 (26)	1,773.79 (19)
3	आर्थिक सेवाएं	4,726.64 (71)	5,775.67 (71)	6,822.35 (70)	7,045.85 (68)	6,874.14 (75)
4	ऋण एवं अग्रिम	88.32 (1)	164.73 (2)	277.71 (3)	368.76 (3)	240.44 (3)
	योग	6,632.57	8,109.74	9,743.22	10,369.72	9,143.89

नोटः लघु कोष्ठकों के आंकड़े कुल पूंजीगत व्यय के प्रतिशत को दर्शाते हैं।

3.3.2 (अ) पूंजीगत व्यय के क्षेत्रवार वितरण का रूझान

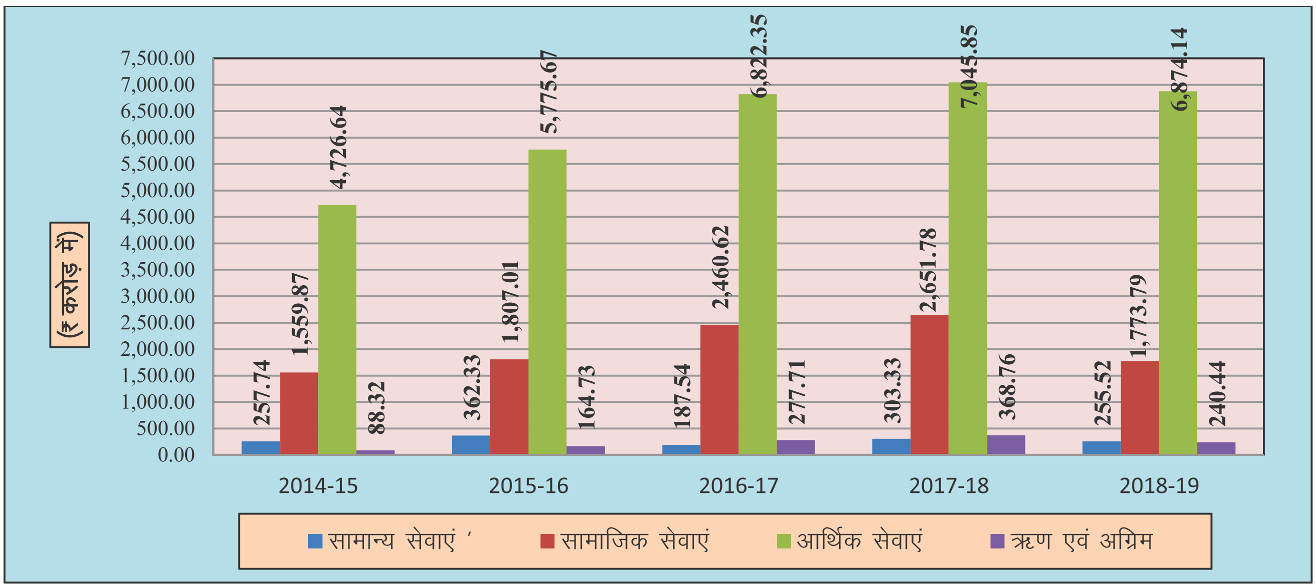

3.3.3. पूंजीगत एवं राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण

पिछले पांच वर्षों में पूंजीगत और राजस्व व्यय का तुलनात्मक क्षेत्रवार वितरण नीचे दर्शाया गया है–

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	भाग	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
क.	सामान्य सेवाएं	पूंजीगत	257.74	362.33	187.54	303.33	255.52
		राजस्व	9,041.58	10,408.76	11,496.23	12,870.41	15,280.28
ख.	सामाजिक सेवाएं	पूंजीगत	1,559.87	1,807.01	2,460.62	2,651.78	1,773.79
		राजस्व	15,388.85	16,339.35	21,341.61	24,371.59	23,454.94
ग.	आर्थिक सेवाएं	पूंजीगत	4,726.64	5,775.67	6,822.35	7,045.85	6,874.14
		राजस्व	14,152.22	16,062.54	14,176.21	17,623.08	24,780.79
घ.	सहायता अनुदान एवं अंशदान	पूंजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		राजस्व	978.63	900.41	1,150.55	1,364.66	895.16

3.4 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियों की तुलना में विगत पांच वर्षों के प्रतिबद्ध व्यय का रूझान निम्न है:—

(₹ करोड़ में)

घटक	2014—15	2015—16	2016—17	2017—18	2018—19
प्रतिबद्ध व्यय	18,858.32	24,092.83	21,989.62	25,420.78	35,042.41
राजस्व व्यय	39,561.29	43,701.06	48,164.60	56,229.75	64,411.17
राजस्व प्राप्तियां	37,988.01	46,067.71	53,685.25	59,647.07	65,094.93
राजस्व प्राप्ति से प्रतिबद्ध व्यय का प्रतिशत	50	52	41	43	53.83
राजस्व व्यय से प्रतिबद्ध व्यय का प्रतिशत	48	55	46	45	54.40

वर्ष 2014—15 से 2018—19 तक प्रतिबद्ध व्यय में 85.82 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि राजस्व व्यय में उक्त अवधि के लिए 62.81 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

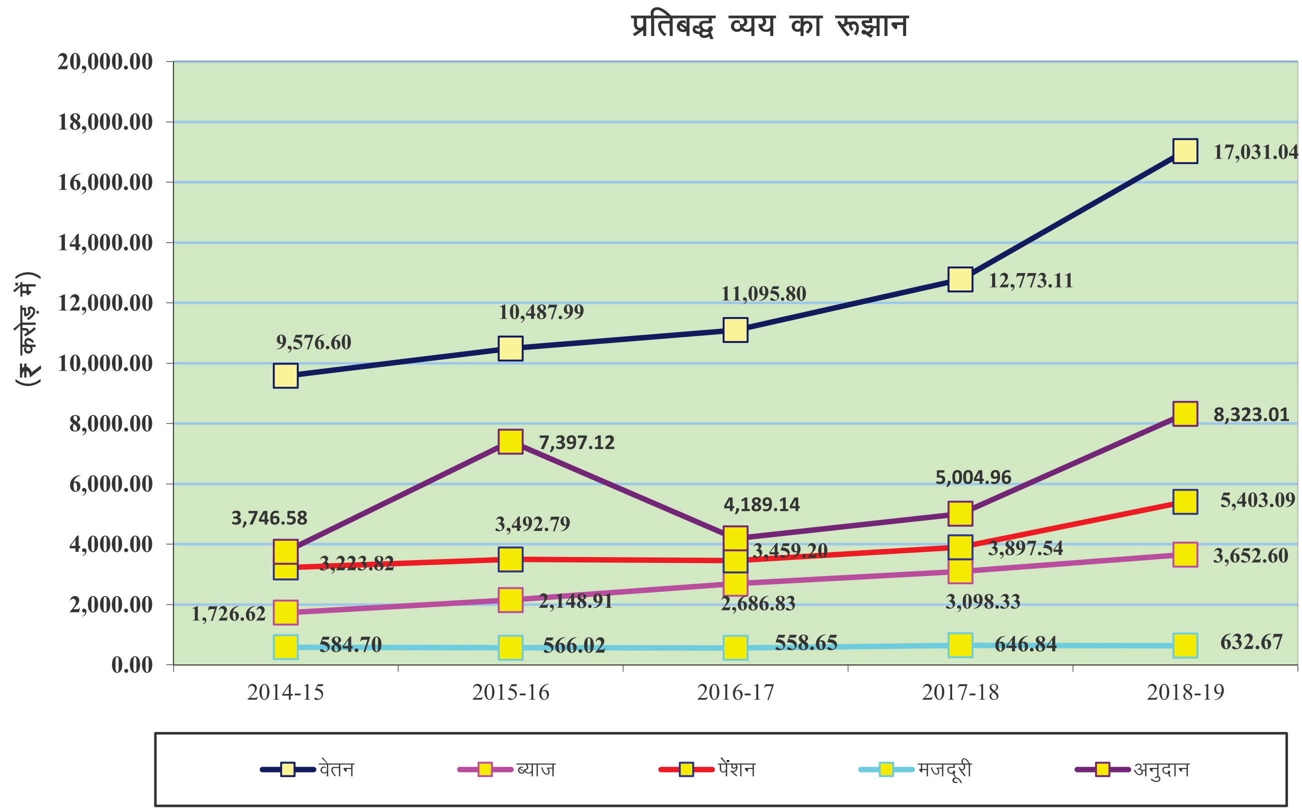

अध्याय–IV

विनियोग लेखे

4.1 वर्ष 2018–19 के विनियोग लेखे का सारांश

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	व्यय का स्वरूप	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान	समर्पण/ पुनर्विनियोजन	कुल बजट	वास्तविक व्यय	बचत(–) आधिक्य(+)
1	राजस्व						
	दत्तमत	65,037.92	16,446.81	19,978.69	81,484.74	60,716.91	(–)20,767.82
	प्रभारित	*4,460.54*	*338.57*	*685.38*	*4,799.11*	*4,103.03*	(–)*696.08*
2	पूंजीगत						
	दत्तमत	15,460.95	822.12	6,846.97	16,283.07	9,416.20	(–)6,866.87
	प्रभारित	*27.93*	*1.40*	*1.24*	*29.33*	*28.07*	(–)*1.26*
3	लोक ऋण						
	प्रभारित	*2,063.37*	*0.00*	*917.48*	*2,063.37*	*1,145.89*	(–)*917.48*
4	ऋण तथा अग्रिम						
	दत्तमत	412.81	98.00	174.73	510.81	323.08	(–)187.73
5	अन्तर्राज्यीय समाशोधन						
	प्रभारित	0.10	0.00	0.00	0.10	0.25	0.15
योग	**दत्तमत**	**80,911.78**	**17,366.93**	**27,000.39**	**98,278.71**	**70,456.44**	**(–)27,822.27**
	प्रभारित	**6,551.84**	**339.97**	**1,604.10**	**6,891.81**	**5,276.99**	**(–)1,644.82**

4.2 विगत पांच वर्षों में बचत/आधिक्य का रूझान

(₹ करोड़ में)

बचत (–)/आधिक्य (+)						योग
वर्ष	राजस्व	पूंजीगत	लोक ऋण	ऋण तथा अग्रिम	अन्तर्राज्यीय समाशोधन	
2014–15	(–) 9,152.28	(–) 2,573.29	+107.20	(–) 397.23	+1.12	(–) 12,014.48
2015–16	(–) 14,705.23	(–) 4,735.41	(–) 472.19	(–) 118.23	+0.39	(–) 20,030.67
2016–17	(–) 13,676.60	(–) 4,842.10	(–) 793.70	(–) 419.45	+0.34	(–) 19,731.51
2017–18	(–) 11,717.58	(–) 6,024.56	(–) 917.50	(–) 228.04	+0.97	(–) 18,790.68
2018–19	(–) 42,127.97	(–) 13,716.34	(–)1,864.96	(–) 362.46	+0.15	(–) 5,8071.88

4.3 महत्वपूर्ण बचतें

अनुदान के तहत पर्याप्त बचत, कुछ विशेष योजनाओं/कार्यक्रमों के अक्रियान्वयन या धीमी क्रियान्वयन की ओर इंगित करती है। निरंतर तथा महत्वपूर्ण बचत वाले कुछ अनुदान निम्न प्रकार से हैं:–

(बचत प्रतिशत में)

अनुदान संख्या	नाम	दत्तमत/प्रभारित	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
राजस्व							
28	राज्य विधानसभा	प्रभारित	*76.66*	*68.62*	*75.55*	*89.41*	*63.52*
		दत्तमत	26.59	34.17	37.43	40.85	36.92
36	परिवहन	प्रभारित	*100.00*	*63.58*	*99.50*	*73.73*	*66.92*
		दत्तमत	36.58	2.32	9.16	50.00	49.64
64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	दत्तमत	12.26	7.33	5.46	16.29	23.06
67	लोक निर्माण कार्य–भवन	दत्तमत	16.08	24.98	13.44	25.61	14.88
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	प्रभारित	*26.19*	*73.81*	*73.81*	*100.00*	*100.00*
		दत्तमत	10.26	4.37	9.49	27.10	29.62
पूंजीगत							
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	दत्तमत	6.00	4.29	1.18	35.66	38.82

राज्य विधानमंडल, परिवहन और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत निरंतर भारी बचत विधायिका द्वारा अनुमोदित योजनाओं को कार्यान्वयन के दौरान कम प्राथमिकता देने की वजह से हुई। इसका कारण बजट अनुमान का बढ़ना या सरकार द्वारा अपने राजकोषीय घाटे को अधिकतम सीमा से कम रखना हो सकता है।

4.4 अनावश्यक सिद्ध हुए अनुपूरक अनुदान/विनियोग

वर्ष 2018–19 के दौरान ₹ 17,706.90 करोड़ का अनुपूरक अनुदान (कुल व्यय का 23.38 प्रतिशत) कुछ मामलों में अनावश्यक सिद्ध हुआ जहाँ वर्ष के अंत में मूल प्रावधान के विरूद्ध महत्वपूर्ण बचत दर्ज की गई। ऐसे मामले जहाँ इस तरह की बचत दर्ज की गई, उनसे संबंधित अनुदान संख्याओं के नाम, मूल प्रावधान, अनुपूरक अनुदान तथा वास्तविक व्यय की जानकारी निम्नलिखित सारणी में दी गई है, जो इस प्रकार है:–

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	नाम	अनुभाग	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय
01	सामान्य प्रशासन	राजस्व	241.96	22.80	212.74
02	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	28.37	0.95	17.05
03	पुलिस	राजस्व	4,233.89	84.51	3,701.24
04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	39.78	16.28	30.95
05	जेल	राजस्व	174.32	1.20	135.69
07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	316.21	8.53	165.15
08	भू–राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	941.95	---	654.85
10	वन	राजस्व	1,069.94	0.28	761.83
12	उर्जा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	2,264.54	32.90	1,221.07
14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	416.69	85.02	343.50
16	मछली पालन	राजस्व	62.37	0.24	49.98
18	श्रम	राजस्व	173.59	20.85	117.27
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	1,978.62	218.86	1,706.24
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	374.43	0.53	257.29
25	खनिज संसाधन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	293.15	49.64	154.13
26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	40.83	20.50	37.71
28	राज्य विधानमंडल	राजस्व	62.42	0.30	39.35
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	राजस्व	540.26	65.08	472.26
30	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	3,227.28	634.73	2,269.02
31	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	38.30	1.00	27.14
36	परिवहन	राजस्व	76.64	---	38.56
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	2,272.16	1.54	1,945.17
44	उच्च शिक्षा	राजस्व	664.17	---	560.28
46	विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी	राजस्व	16.95	0.90	5.63
47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	राजस्व	359.95	12.00	226.79
54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय	राजस्व	131.00	---	95.25
55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	राजस्व	990.51	44.45	535.45
58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा में राहत पर व्यय	राजस्व	330.64	---	322.21
66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राजस्व	247.40	8.88	154.51
69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग–नगरीय निकाय	राजस्व	850.43	210.33	749.30
71	सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी	राजस्व	136.08	5.00	50.15
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	615.51	2.82	435.15
80	त्रिस्तरीय पंचायती राज्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	3,829.69	380.79	2,200.33
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	1,867.15	481.25	1,414.07
..	लोक ऋण	राजस्व	3,967.45	337.11	3,728.95
3	पुलिस	पूंजीगत	76.75	---	13.93

अनुदान संख्या	नाम	अनुभाग	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय
10	वन	पूंजीगत	17.32	12.00	7.63
12	उर्जा विभाग से संबंधित व्यय	पूंजीगत	322.41	---	291.96
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	पूंजीगत	68.18	0.28	32.98
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	पूंजीगत	695.04	0.50	197.27
23	जल संसाधान विभाग	पूंजीगत	488.39	---	341.89
24	लोक निर्माण कार्य–सड़कें तथा पुल	पूंजीगत	1,352.56	122.54	947.81
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	पूंजीगत	14.82	1.47	12.58
30	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	पूंजीगत	675.89	25.00	599.42
41	आदिवासी क्षेत्र उप–योजना	पूंजीगत	2,943.00	248.62	1,923.98
42	आदिवासी क्षेत्र उप–योजना से संबंधित लोक निमार्ण–सड़कें तथा पुल	पूंजीगत	1,090.61	---	824.52
64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	पूंजीगत	1,432.50	110.85	859.11
67	लोक निर्माण कार्य–भवन	पूंजीगत	589.25	7.24	310.99
71	सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी	पूंजीगत	280.00	283.40	104.00
76	लोक निर्माण विभाग से संबंधित वाह्य सहायता प्राप्त परियोजना	पूंजीगत	775.60	---	460.34
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	पूंजीगत	189.20	---	91.92
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	पूंजीगत	604.00	6.61	185.00

वर्ष के अंत में कुछ मामलों में वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से अधिक रहा जिसकी जानकारी नीचे सारणी में दी गई हैः–

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	नाम	अनुभाग	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय
..	2049–ब्याज अदायगी 03–अल्प बचत भविष्य निधि पर ब्याज 104–राज्य भविष्य निधि पर ब्याज	राजस्व	428.50	0.00	488.85
06	2071–पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ 01–सिविल 104–उपदान	राजस्व	500.00	0.00	587.37
06	2071–पेशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ 01–सिविल 105–पारिवारिक पेंशन	राजस्व	775.00	0.00	834.70
06	2071–पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ 01–सिविल 115–अवकाश नकदीकरण लाभ	राजस्व	150.00	0.00	221.89
06	2071–पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ 01–सिविल 117–निश्चित पेंशन अंशदान योजना के लिए सरकार द्वारा अंशदान	राजस्व	490.00	0.00	757.00
19	2210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य 03–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा (ऐलोपैथी) 197–जनपद पंचायतों को सहायता	राजस्व	121.43	0.00	125.24

अनुदान संख्या	नाम	अनुभाग	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय
23	2701—मध्यम सिंचाई 80—सामान्य 001—निर्देशन एवं प्रशासन	राजस्व	223.50	0.00	367.90
41	2210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य 03—ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा 197—ग्राम पंचायतों को सहायता	राजस्व	124.09	0.00	159.18
67	2059—लोक निर्माण कार्य 60—अन्य भवन 053—मरम्मत एवं रख रखाव	राजस्व	94.70	0.00	121.34

4.5 व्यय का अतिरेकः

बजट नियंत्रण के लिए वर्ष में प्रमुख आवश्यकता व्यय का नियमित प्रवाह होना है। वित्तीय वर्ष के अंतिम माहों में अत्यधिक व्यय को वित्तीय नियमों का उल्लंघन माना जाता है। जबकि यह देखा गया कि निम्नलिखित मामलों में मार्च, 2019 के दौरान किया गया व्यय, वर्ष के दौरान किए गए कुल व्यय के 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के मध्य थे जो वित्तीय वर्ष के अंत में बजट प्रावधानित राशि प्रयुक्त किये जाने की प्रवृत्ति को इंगित करता है:—

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	नाम	प्रथम त्रैमासिक	द्वितीय त्रैमासिक	त्रितीय त्रैमासिक	चतुर्थ त्रैमासिक	योग	मार्च, 2019 का व्यय	कुल व्यय से मार्च, 2019 का प्रतिशत
2075	विविध सामान्य सेवाएं	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.01	56.30
4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.48	0.27	1.57	5.55	7.87	5.31	67.39
4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.16	1.11	8.64	9.91	8.18	82.43
4405	मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय	0.24	0.10	0.02	0.74	1.10	0.63	57.06
4425	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	−0.16	0.00	−0.03	5.16	4.97	6.32	126.89
4801	बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	60.00	70.00	130.00	170.00	130.77
4810	नई एवं अक्षय उर्जा श्रोतों पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	186.26	78.11	200.62	464.99	295.89	63.63
4853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	0.07	0.61	0.64	2.59	3.91	2.09	53.40
5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	1.20	0.00	12.57	13.77	12.57	91.28

अध्याय–V

परिसम्पत्तियां तथा दायित्व

5.1 परिसम्पत्तियां

लेखाओं का वर्तमान स्वरूप, जमीन, भवन आदि जैसी सरकारी परिसम्पतियों के मूल्यांकन को (अर्जन/खरीद के वर्ष को छोड़कर) सही तरह नहीं दर्शाता है। इसी प्रकार, जहॉं लेखे केवल चालू वर्ष के देनदारियों के प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं वहीं वे भावी पीढ़ीयों पर पड़ने वाले दायित्वों के समग्र प्रभाव को चित्रित नहीं करते हैं।

वर्ष 2018–19 के अन्त में सरकारी निगमों, शासकीय कंपनियों एवं संयुक्त स्टाक उपक्रमों में अंश पूंजी के रूप में कुल निवेश ₹ 7,268.04 करोड़ रहा। जबकि वर्ष के दौरान निवेश पर कुल लाभांश ₹ 1.49 करोड़ (0.02 प्रतिशत) प्राप्त किया गया। वर्ष 2018–19 के अंत तक निवेश में ₹ 401.67 करोड़ की वृद्धि तथा लाभांश आय में ₹ 3.31 करोड़ की कमी हुई।

01 अप्रैल 2018 को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ नकदी शेष ₹ 637.60 करोड़ तथा मार्च 2019 के अन्त में यह ₹ 320.72 करोड़ रहा। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2018–19 के दौरान शासन ने 14 दिनों के खजाना बिलों में 156 अवसरों पर ₹ 1,04,951.23 करोड़ निवेश किया। वर्ष के दौरान पुर्नरियायती राशि 164 अवसरों पर ₹ 46,649.10 करोड़ थी और 88 अवसरों पर परिपक्वता राशि ₹ 52,613.96 करोड़ थी। वर्ष 2018–19 के दौरान निवेश की स्थिति का विवरण निम्नलिखित सारणी में वर्णित है:–

(₹ करोड़ में)

भारत सरकार के खजाना बिलों में नकदी शेष का निवेश			
1 अप्रैल 2018 को शेष	2018–19 के दौरान खरीद	2018–19 के दौरान विक्रय	31 मार्च 2019 को अंतिम शेष
4,070.85	1,04,951.23	99,263.06	9,759.02

5.2 ऋण तथा देनदारियां

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 293, राज्य सरकारों को समेकित निधि की अभिरक्षा पर एक सीमा के भीतर, जो कि राज्य विधानमंडल द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाती है, यदि कोई है, उधार लेने की शक्तियां प्रदान करता है।

राज्य सरकार के लोक ऋण तथा कुल दायित्वों का विगत पॉच वर्षों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है:–

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लोक ऋण	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत	लोक लेखा	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत	कुल देयताएं	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत
2014–15	20,049.18	8.53	11,131.84	4.74	31,181.02	13.27
2015–16	26,050.15	9.99	11,766.44	4.51	37,816.59	14.50
2016–17	30,377.45	10.47	13,053.41	4.50	43,430.86	14.97
2017–18	39,030.01	13.38	13,877.07	4.76	52,907.08	18.14
2018–19	52,254.22	16.77	14,495.29	4.65	66,749.51	21.42

वर्ष 2017–18 की तुलना में वर्ष 2018–19 में लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों में ₹ 13,842.43 करोड़ (26.16 प्रतिशत) की निवल वृद्धि हुई है।

सरकारी दायित्वों का रूझान

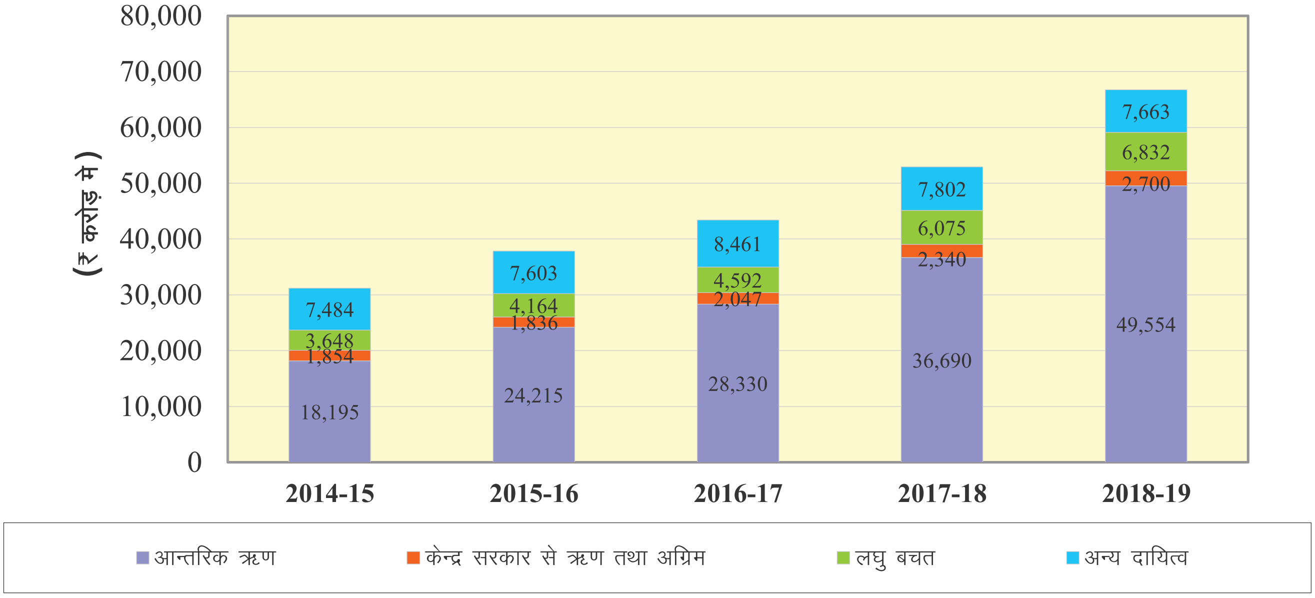

5.3 प्रतिभूतियां

प्रत्यक्ष रूप से ऋण उठाये जाने के अतिरिक्त, राज्य सरकारें विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु बाजार तथा वित्तीय संस्थानों से संवैधानिक निगमों, सरकारी कंपनियों तथा निगमों, सहकारी समितियों आदि द्वारा लिए गए ऋणों की भी प्रतिभूति देती है। संवैधानिक निगमों, सरकारी कंपनियों तथा निगमों, सहकारी समितियों आदि द्वारा लिए गए ऋणों, पूंजी तथा उस पर ब्याज के भुगतान की अदायगी के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियां, उनके न चुका पाने की स्थिति में राज्य सरकार की समेकित निधि पर उत्तरदायित्व है। इन प्रतिभूतियों को राज्य बजट से बाहर प्रक्षेपित किया जाता है। संवैधानिक निगमों, सरकारी कंपनियों तथा निगमों, सहकारी समितियों आदि द्वारा लिए गए ऋणों (मूल राशि तथा उस पर ब्याज की अदायगी) की वापसी हेतु राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूतियों की स्थिति नीचे सारणी में दी गई है।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रतिभूति की अधिकतम राशि (केवल मूलधन)	वर्ष के अंत में बकाया राशि	
		मूलधन	ब्याज
2014–15	9,080.06	2,314.47	लागू नहीं
2015–16	14,883.41	1,988.24	लागू नहीं
2016–17	12,641.13	3,982.97	लागू नहीं
2017–18	6,549.89	3,881.92	लागू नहीं
2018–19	19,573.79	10,769.42	लागू नहीं

उपरोक्तानुसार यह देखा जा सकता है कि प्रतिभूति राशि में वर्ष 2018–19 में पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है। वित्त लेखे के विवरण संख्या–20 पर इसका विवरण उपलब्ध है तथा ये वित्त विभाग, राज्य शासन से प्राप्त सूचना पर आधारित है।

5.4 राज्य सरकार के ऑफ बजट दायित्व

₹ 66,749.51 करोड़ के बजट दायित्वों के अतिरिक्त राज्य शासन का विभिन्न वित्तीय संस्थानों के प्रति ऑफ बजट दायित्व है, जो निम्नानुसार है:–

5.4.1 छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित (सी.एस.पी.डी.सी.एल.)

''कृषक जीवन ज्योति योजना'' के दो उप योजनाओं ''एकल बत्ती कनेक्शन हेतु अनुदान'' तथा ''5 एच.पी. के कृषक पम्पों को निःशुल्क विद्युत प्रदान करने हेतु अनुदान'' के अन्तर्गत बी.पी.एल. उपभोक्ताओं को निःशुल्क विद्युत उपलब्ध कराने हेतु छत्तीसगढ़ शासन का सी.एस.पी.डी.सी.एल. के प्रति ₹ 1,955.00 करोड़ का दायित्व था। इस दायित्व को मुक्त करने के क्रम में, छत्तीसगढ़ शासन ने सी.एस.पी.डी.सी.एल. को वर्ष 2016–17 (5 वर्ष के लिए वैध) में विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ₹ 1,955.00 करोड़ का ऋण प्राप्त करने हेतु प्रतिभूति इस शर्त पर प्रदत्त है कि इस ऋण के मूलधन एवं ब्याज के पुर्नभुगतान का दायित्व राज्य शासन का होगा। प्रथमतः ऋण के देय मूलधन एवं ब्याज का पुर्नभुगतान सी.एस.पी.डी.सी.एल. द्वारा वित्तीय संस्थानों को किया जायेगा तथा राज्य शासन इसका भुगतान सी. एस. पी. डी. सी. एल. को करेगा। राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के प्रावधान के साथ ₹ 1,955.00 करोड़ के गारंटी के विरूद्ध देय मूलधन एवं ब्याज का प्रावधान किया जाता है। वर्ष 2018–19 के दौरान उपरोक्त दोनो योजनाओं के अन्तर्गत राज्य शासन ने क्रमशः ₹ 363.14 करोड़ एवं ₹ 2,975.68 करोड़ का प्रावधान किया तथा सी. एस. पी. डी. सी. एल. को क्रमशः ₹ 363.14 करोड़ एवं ₹ 1,645.31 करोड़ विमुक्त किया। इन योजनाओं से संबंधित संस्वीकृति आदेशों में आर्थिक सहायता हेतु विमुक्त राशि एवं ₹ 1,955.00 करोड़ का ऋण के मूलधन का पुर्नभुगतान एवं ब्याज हेतु विमुक्त राशि पृथक रूप से दर्शाई नहीं जाती है। परिणामस्वरूप वर्ष 2018–19 के दौरान राज्य शासन द्वारा सी.एस.पी.डी.सी.एल. को भुगतान किये गये मूलधन/ब्याज राशि का निर्धारण नहीं किया जा सका है। इसके अतिरिक्त, मार्च 2019 तक सी.एस.पी.डी.सी.एल. ने वित्तीय संस्थानों को ₹ 559.38 करोड़ के मूलधन एवं ₹ 404.10 करोड़ के ब्याज का पुर्नभुगतान किया।

5.4.2 छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल (सी.एच.बी.)

शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु 6,424 आवासीय भवनों के निर्माण के लिए वर्ष 2017–18 के दौरान छत्तीसगढ़ शासन ने कैनरा बैंक से ₹ 800.00 करोड़ के ऋण प्राप्त करने के लिए सी. एच. बी. को प्रतिभूति (वर्ष 2031 तक वैध) जारी किया। इस संबंध में आवास एवं पर्यावरण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन तथा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के मध्य दिनांक 14 जुलाई 2017 को एक समझौता हुआ। इसके अनुसार, उक्त कार्य हेतु प्राप्त किये गये ऋण के ब्याज एवं किश्त का भुगतान आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा सी.एच.बी. को वास्तविक आधार पर किया जाएगा। वर्ष 2018–19 के दौरान, सी.एच.बी. ने ₹ 401.64 करोड़ का ऋण प्राप्त किया तथा ₹ 33.61 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया जिसके विरूद्ध सी.एच.बी. को कोई भी राशि राज्य शासन द्वारा भुगतान नहीं की गई। सी.एच.बी. ने 31 मार्च 2019 तक कुल ऋण राशि ₹ 562.66 करोड़ प्राप्त किया (31 मार्च 2018 तक का ₹ 161.02 करोड़ सम्मिलित)।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2018–19 के दौरान, राज्य शासन ने सी.एच.बी. से ₹ 216.64 करोड़ की लागत पर 728 फ्लैट इस शर्त पर क्रय किया कि सी.एच.बी. उक्त राशि के लिए ऋण प्राप्त करेगा एवं राज्य शासन सी.एच.बी. को 15 वर्ष में ऋण का पुर्नभुगतान करेगा। सितम्बर 2018 में राज्य शासन ने सी.एच.बी. को इलाहाबाद बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु ₹ 195.00 करोड़ की प्रतिभूति जारी की। सी.एच.बी. ने वर्ष 2018–19 के दौरान सम्पूर्ण ऋण प्राप्त की तथा ₹ 6.29 करोड़ का ब्याज भुगतान किया जिसके विरूद्ध राज्य शासन द्वारा सी.एच.बी. को कोई राशि प्रदान नहीं की गई।

उक्त दोनों प्रकरणों में 31 मार्च 2019 की स्थिति में राज्य शासन का कुल दायित्व मूलधन के लिए ₹ 757.66 करोड़ (31 मार्च 2018 तक का ₹ 161.02 करोड़ सम्मिलित) एवं ब्याज हेतु ₹ 42.49 करोड़ (31 मार्च 2018 तक का ₹ 2.59 करोड़ सम्मिलित) है।

5.4.3 छत्तीसगढ़ पुलिस गृह निर्माण निगम मर्यादित (सी.पी.एच.सी.एल.)

पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु 10,000 आवासीय भवनों के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने दो वित्तीय संस्थानों यथा, इलाहाबाद बैंक (₹ 400.00 करोड़) तथा कैनरा बैंक (₹ 400.00 करोड़) से कुल ₹ 800.00 करोड़ का ऋण प्राप्त करने के लिए सी.पी.एच.सी.एल. को जून/जुलाई 2017 (वर्ष 2027 तक वैध) में प्रतिभूति जारी की। वर्ष 2018–19 के दौरान, सी.पी.एच.सी.एल. ने ₹ 204.71 करोड़ का ऋण प्राप्त किया एवं ₹ 22.53 करोड़ का ब्याज का पुर्नभुगतान किया जिसके विरूद्ध राज्य शासन द्वारा सी.पी.एच.सी.एल. को ₹ 23.60 करोड़ ब्याज के रूप में भुगतान किया गया। 31 मार्च 2019 की स्थिति में राज्य शासन का मूलधन हेतु कुल दायित्व ₹ 374.86 करोड़ (31 मार्च 2018 तक का ₹ 170.15 करोड़ सम्मिलित) है।

5.5 सेवानिवृत्ति हितलाभों का दायित्व

1 नवम्बर 2004 को या उसके पश्चात नियुक्त राज्य शासन के कर्मचारी नवीन ''परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना'' के पात्र हैं। योजना के दिशा निर्देशानुसार, कर्मचारी मूलवेतन एवं मंहगाई भत्ते का 10 *प्रतिशत* का अंशदान करता है एवं इसके समतुल्य राज्य शासन द्वारा अंशदान होता है। कर्मचारी अंशदान लोक लेखा के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 8342–117 में जमा किया जाता है एवं तदुपरान्त नेशनल सिक्युरिटीज् डिपाज़िटरी लिमिटेड़ (एन.एस.डी.एल.)/ट्रस्टी बैंक के मनोनीत निधि प्रबन्धक को स्थानांतरित किया जाता है। नियोक्ता अंशदान सीधे मुख्य शीर्ष 2071 को नामे कर एन.एस.डी.एल./ट्रस्टी बैंक को स्थानांतरित किया जाता है। वर्ष 2018–19 में कुल ₹ 760.25[3] करोड़ निधि में जमा हुए, जिसमें ₹ 757.01 करोड़ कर्मचारियों का अंशदान एव ₹ 3.24 करोड़ जिला पंचायत, इत्यादि में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के अशंदान तथा नियोक्ता अंशदान सम्मिलित है। वर्ष के दौरान निधि में जमा कुल राशि ₹ 760.25 करोड़ के विरूद्ध ₹ 757.09 करोड़ कर्मचारी अंशदान तथा ₹ 2.98 करोड़ प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के अंशदान तथा नियोक्ता का अंशदान, कुल ₹ 760.07[4] करोड़ ट्रस्टी बैंक को स्थानांतरित किये गये है, परिणामस्वरूप ₹ 0.18 करोड़ कम स्थानांतरित हुए। इसके अतिरिक्त, ₹ 757.01 करोड़ के नियोक्ता अंशदान के विरूद्ध, राज्य शासन द्वारा ₹ 757.00 करोड़ का अंशदान किया गया, परिणामस्वरूप ₹ 0.01 करोड़ कम अंशदान हुआ। 31 मार्च 2019 को लेखाशीर्ष 8342–117 के अन्तर्गत ₹ 22.41 करोड़ शेष रहा। वित्त लेखे में दर्शाये गये इस शीर्ष के अंतशेष (₹ 22.41 करोड़) तथा राज्य शासन के द्वारा सूचित अंतशेष (₹ 17.14 करोड़) के मध्य का अंतर पुर्नमिलान के अधीन है। असंग्रहित, असंगत एवं अस्थानांतरित राशियों मय अर्जित ब्याज इस योजना में बकाया दायित्व दर्शाती है।

---

[3] निधि में कुल जमा राशि ₹ 765.82 करोड़ है जिसमें वर्ष 2018–19 के ₹ 760.25 करोड़ का कर्मचारी अंशदान एवं वर्ष 2006–07 से 2017–18 के दौरान मुख्यशीर्ष 8342–120 में त्रुटिपूर्ण रूप से जमा कर्मचारी अंशदान राशि ₹ 5.57 करोड़ सम्मिलित है।

[4] इस निधि में कुल डेबिट (नामे) राशि ₹ 785.94 करोड़ है जिसमें वर्ष 2018–19 के ₹ 760.07 करोड़ का कर्मचारी अंशदान, वर्ष 2017–18 में मुख्यशीर्ष 8342–120 में त्रुटिपूर्ण रूप से नामे ₹ 25.52 करोड़ का कर्मचारी अंशदान एवं न्यायिक अधिकारियों के छठवें वेतन आयोग के एरियर की प्रतिपूर्ति राशि ₹ 0.35 करोड़ सम्मिलित है।

अध्याय–VI

अन्य मदें

6.1 आंतरिक ऋणों के अधीन प्रतिकूल शेष

राज्य सरकारों की उधारियां भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के अंतर्गत अधिशासित होती है। प्रत्यक्ष रूप से ऋण उठाये जाने के अतिरिक्त, राज्य सरकारें विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु बाजार तथा वित्तीय संस्थानों से सरकारी कंपनियों तथा निगमों द्वारा लिए गए ऋणों की प्रतिभूति देती है जिसे राज्य बजट से बाहर प्रक्षेपित किया जाता है। इन ऋणों को संबंधित प्रशासकीय विभागों की प्राप्तियों के रूप में लिया जाता है तथा सरकार के लेखों में ये शामिल नहीं होते हैं। हालांकि ऋणों की वापसियों को सरकारी लेखे में लिया जाता है जिसके परिणामतः सरकारी लेखाओं में असंगत प्रतिकूल शेष तथा दायित्वों की कम वयानी प्रदर्शित होती है। 31 मार्च 2019 को छत्तीसगढ़ सरकार के लेखों में कोई प्रतिकूल शेष नहीं है।

6.2 राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018–19 के अंत तक ₹ 1,597.75 करोड़ के कुल ऋण एवं अग्रिम दिए गए हैं जो कि सरकारी निगमों/कंपनियों, गैर सरकारी संस्थाओं, स्थानीय निकायों हेतु ऋण एवं अग्रिम से संबंधित थे। मार्च 2019 के अंत तक ₹ 683.57 करोड़ के मूल एवं ₹ 56.85 करोड़ के ब्याज की वसूली बकाया है।

6.3 स्थानीय निकायों एवं अन्य को वित्तीय सहायता

स्थानीय निकायों, स्वायत्त निकायों इत्यादि को दिए गए सहायता अनुदान वर्ष 2014–15 में ₹ 16,176.42 करोड़ से बढकर वर्ष 2018–19 मे ₹ 24,897.11 करोड़ हो गया है। जिला परिषद एवं पंचायती राज संस्थाओं, नगर निगम एवं नगर पालिकाओं को प्रदत्त अनुदान (₹ 9,683.90 करोड़) वर्ष के दौरान दिये गये कुल अनुदान का 38.90 प्रतिशत है।

विगत पांच वर्षों के सहायता अनुदान का विवरण निम्नानुसार है :–

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संस्थाओं के नाम	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
1	जिला परिषद एवं पंचायती राज संस्थाएं	7,797.54	6,246.71	8,899.54	10,899.36	6,905.17
2	नगर निगम तथा नगर पालिकाएं	1,919.54	1,785.97	3,234.45	3,425.75	2,778.73
3	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	37.90	1,637.16	799.96	1,690.57	1,515.96
4	विश्वविद्यालय तथा शैक्षणिक संस्थान	3,073.45	480.58	623.50	597.17	557.55
5	अन्य संस्थान	3,347.99	4,949.95	6,914.73	10,040.36	13,.139.70
	योग	**16,176.42**	**15,100.37**	**20,472.18**	**26,653.21**	**24,897.41**

सहायता अनुदान

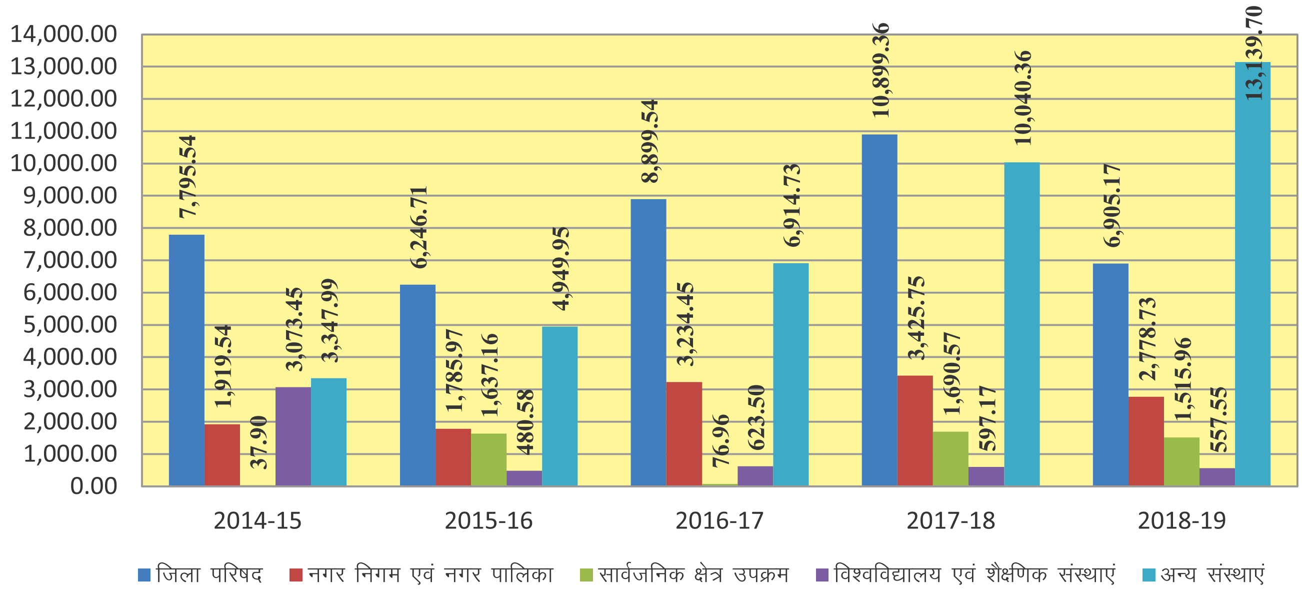

6.4 रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

वर्ष 2018–19 के लिए राज्य सरकार के रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष निवेश की स्थिति निम्नानुसार है–

(₹ करोड़ में)

घटक	01 अप्रैल 2018 की स्थिति में	31 मार्च 2019 की स्थिति में	निवल वृद्धि(+)/ कमी(–)
रोकड़ शेष	637.60	320.72	(–)316.88
रोकड़ शेष से निवेश (भारत सरकार के कोषालय बिल एवं प्रतिभूतियां)	4,070.85	9,759.02	(+)5,6.17
उद्दिष्ठ पृथक निधियों का निवेश	2,085.84	2,185.31	(+)99.47
(क) निक्षेप निधि	1,946.94	2,046.94	(+)100.00
(ख) प्रतिभूति उन्मोचन निधि	0.00	0.00	0.00
(ग) अन्य निधियां	138.90	138.37	(–)0.53
प्राप्त ब्याज	140.28	145.23	(+)4.95

6.5 लेखों का पुनर्मिलान

लेखे की शुद्धता एवं विश्वसनीयता अन्य बातों के अलावा समय पर विभागीय आंकड़ों तथा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित लेखा कार्यालय के आंकड़ों के मिलान पर निर्भर करता है। वर्ष के दौरान 94 बजट नियंत्रण अधिकारियों में से 44 बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा पूर्ण रूप से तथा 20 बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा आंशिक रूप से कुल ₹ 42,232.60 करोड़ (कुल समेकित निधि व्यय ₹ 74,701.20 करोड़ का 56.54 प्रतिशत) का पुर्नमिलान किया। इसी प्रकार प्राप्ति के मामले में 40 बजट नियंत्रण अधिकारियों में से 13 बजट नियंत्रण अधिकारियों ने ₹ 26,157.33 करोड़ (कुल समेकित निधि की प्राप्ति ₹ 79,633.18 करोड़ का 32.85 प्रतिशत) की प्राप्तियों का पूर्ण रूप से पुर्नमिलान किया।

6.6 लेखे प्रतिपादन इकाईयों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतिकरण

छत्तीसगढ़ शासन के 28 कोषालयों, 57 लोक निर्माण संभागों, 53 वन संभागों, 62 सिंचाई संभागों, 29 ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा संभागों, 36 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभागों, 33 ग्रामीण विकास संभागों, 04 सड़क विकास संभागों तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर व्यय एवं प्राप्ति के लेखे संकलित किये गये है। छत्तीसगढ़ शासन के लेखे प्रतिपादन इकाईयों से प्राप्त मासिक लेखे संतोषप्रद थे।

6.7 असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक व्यय बिल (ए.सी.)

आहरण एवं संवितरण अधिकारी को संक्षिप्त आकस्मिक बिल (ए.सी.) प्रस्तुत करते हुए आकस्मिक व्यय, जिनका विवरण उस वक्त उपलब्ध नहीं हो पाता है, सेवा मद को डेबिट कर खर्च करने के लिए अधिकृत किया गया है। संबंधित अधिकारी को ऐसे सभी मामलों में बाद में विस्तृत आकस्मिक बिल (डी.सी.) प्रस्तुत करना होता है। नियंत्रण अधिकारियों को ऐसे सभी बिलों को महालेखाकार (लेखा. एव हक.) को आने वाले महीने की 25 तारीख से पहले (राज्य कोषालय संहिता का उप नियम 327) भेजना होता है। डी.सी. बिलों का व्यय संबंधी दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत न किया जाना ए.सी. बिलों से संबंधित व्यय को संदिग्ध एवं अपारदर्शी बना देता है। 31 मार्च 2019 की स्थिति में बकाया ए.सी. बिलों के विवरण निम्नलिखित हैं:–

लम्बित डी.सी. बिलों का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लम्बित डी.सी. बिलों की संख्या	राशि
2017–18	40	115.08
2018–19	248	69.57
योग	**288**	**184.65**

मुख्य विभाग जिन्होंने डी.सी. बिल जमा नहीं किया है वे हैं:– सहकारिता– ₹ 170.36 करोड़ (92.27 प्रतिशत), उद्योग– ₹ 4.89 करोड़ (2.65 प्रतिशत), ग्रामोद्योग– ₹ 5.95 करोड़ (3.22 प्रतिशत) तथा सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण– ₹ 1.32 करोड़ (0.71 प्रतिशत)

6.8 उचंत अवशेषों की स्थिति

वित्त लेखे उचंत एवं प्रेषण शीर्ष के अंतर्गत निवल शेष को प्रदर्शित करता है। इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष राशि को विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत अलग से बकाया डेबिट और क्रेडिट शेषों को मिलाकर तैयार किया गया है। वर्ष 2018–19 के मुख्य उचंत शीर्षों के अन्तर्गत निवल आंकड़ों की स्थिति को नीचे दर्शाया गया है:–

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष	2014–15		2015–16		2016–17		2017–18		2018–19	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
(अ) उचंत लेखे										
101. वेतन एवं लेखा उचंत	26.88	2.37	47.52	2.50	48.21	0.44	54.38	0.14	52.55	18.83
निवल	नामे 24.51		नामे 45.02		नामे 47.77		नामे 54.24		नामे 33.72	
102. उचंत लेखे (सिविल)	56.84	48.24	60.39	49.21	2.20	0.16	19.26	0.98	32.44	0.17
निवल	नामे 8.60		नामे 11.18		नामे 2.04		नामे 18.28		नामे 32.27	
107. रोकड़ समाशोधन उचंत लेखे	38.68	6.70	38.68	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल	नामे 31.98		नामे 31.98		नामे 0.00		नामे 0.00		नामे 0.00	
109. रिजर्व बैंक उचंत–मुख्यालय	(–)0.47	(–)6.13	(–)0.19	(–)11.31	(–)0.37	(–)3.08	(–)0.67	(–)0.08	2.61	3.02
निवल	नामे 5.66		नामे 11.12		नामे 2.71		जमा 0.59		जमा 0.41	
110. रिजर्व बैंक उचंत–क्रेन्द्रीय लेखा कार्यालय	(–)2.72	(–)3.03	(–)5.21	(–)3.03	0.73	0.15	0.14	0.00	1.72	0.00
निवल	नामे 0.31		जमा 2.18		नामे 0.58		नामे 0.14		नामे 1.72	

6.9 शेष उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति

छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग–1 के नियम 182 के अनुसार, वार्षिक या अनावर्ती सशर्त अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र विभागीय अधिकारियों जिनके हस्ताक्षर अथवा प्रतिहस्ताक्षर से अनुदान देयक आहरित हुआ है, जिस वर्ष से अनुदान संबंधित है उसके पश्चवर्ती वर्ष में 30 सितम्बर अथवा पहले महालेखाकार कार्यालय (लेखा एवं हकदारी) को प्रेषित किया जाना चाहिए। 31 मार्च 2019 की स्थिति में ₹ 7,019.33 करोड़ के कुल 534 उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित हैं, जिनके विवरण नीचे दिए गए हैं:–

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रतीक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	राशि
2016–17 तक	46	68.70
2017–18	231	2,299.44
2018–19*	257	4,651.19
कुल	**534**	**7,019.33**

* वर्ष 2018–19 के दौरान आहरति की गई वैसी मांग संख्याओं के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र जो वर्ष 2019–20 में देय हैं (वैसी स्वीकृति आदेशों को छोड़कर जो अन्यथा वर्णित है)।

6.10 विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरणों को राशि का स्थानांतरण

केन्द्रीय आयोजना, केन्द्र प्रवर्तित योजना तथा राज्य आयोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार राज्य/जिला स्तर के स्वायत्त निकायों/अभिकरणों और प्राधिकरणों, संस्थाओं गैर सरकारी संगठनों आदि को अनुदान के रूप में निधि उपलब्ध कराती है। चुंकि क्रियान्वयन अभिकरणों द्वारा निधि का उपयोग एक वित्तीय वर्ष मे नही किया जाता है, अतः कुल राशि में से उपयोग के बाद शेष राशि, जो कि क्रियान्वयन अभिकरणों के बैंक खातों में जमा रहती है तथा जिसे सरकारी लेखों से बाहर रखा जाता है, का विवरण उपलब्ध नहीं है। अतः लेखों में दर्शाये गये सरकारी व्यय अंतिम नही हैं।

6.11 विगत पांच वर्षों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.ड़ी.पी.)

सकल राज्य घरेलू उत्पाद एक निश्चित अवधि में राज्य के अन्दर आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त समस्त उत्पादित अंतिम उत्पाद और सेवाओं का बाजार मूल्य है। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण सूचक है क्योंकि यह राज्य की उत्पादन गतिविधियों के कुल मूल्य की बढ़ोतरी को दर्शाता है। वर्तमान मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद तथा राज्य सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्ति को नीचे दर्शाया गया है:–

6.11.1 जी.ड़ी.पी. और जी.एस.ड़ी.पी. की वार्षिक वृद्धि दर (वर्तमान मूल्यों पर)–

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
भारत का सकल घरेलू उत्पाद	1,24,67,959	1,37,64,037	1,52,53,714	1,67,73,145	1,88,40,731
सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.99	10.40	10.82	9.96	12.30
राज्य सकल घरेलू उत्पाद	2,21,142	2,34,212	2,62,263	2,91,681	3,11,660
राज्य सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	6.92	5.91	11.98	11.22	9.66

(स्त्रोतः आंकड़े भारत सरकार के सांख्यिकी तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के वेबसाइट से प्राप्त)

6.12 अपूर्ण पूंजीगत निर्माण कार्यों के कारण प्रतिबद्धताः—

राज्य शासन द्वारा 319 अपूर्ण पूंजीगत निर्माण कार्यों पर वर्ष 2018—19 के दौरान वित्त लेखे के भाग—2 के परिशिष्ट—IX में उल्लिखित प्रत्येक ₹ 10.00 करोड़ या अधिक के अनुमानित लागत वाली परियोजना के कुल व्यय ₹ 12,376.60 करोड़ के विरूद्ध ₹ 10,787.07 करोड़ का व्यय किया गया। अपूर्ण निर्माण परियोजनाओं के लागत मूल्यों का विवरण निम्नवत् है—

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	निर्माण की श्रेणी (कार्यों की संख्या)	निर्माण की अनुमानित लागत	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक प्रगामी व्यय	लंबित भुगतान	संशोधन उपरांत अनुमानित लागत (कार्यों की संख्या)
1	जल संसाधन विभाग (174)	6,936.63	756.13	6,554.88	उपलब्ध नहीं	5,698.61 (57)
2	भवन निर्माण (18)	567.73	46.63	748.39	उपलब्ध नहीं	1,035.76 (9)
3	पुल निर्माण (37)	754.21	61.49	513.26	उपलब्ध नहीं	51.72 (3)
4	सड़क निर्माण (90)	4,118.03	432.50	2,970.55	उपलब्ध नहीं	242.09 (4)
	योग	**12,376.60**	**1,296.75**	**10,787.08**	**उपलब्ध नहीं**	**7028.18**

6.13 व्यक्तिगत जमा खाता (पी.डी.) में धन का स्थानांतरणः—

राज्य कोषालय संहिता के सहायक नियम 543 के अनुसार, राज्य शासन व्यक्तिगत जमा लेखे (जो कि लोक लेखे के भाग हैं) आरंभ करने के लिए अधिकृत है, जिनमें समेकित निधि से राशि आहरित कर (व्यय शीर्ष को नामे कर) विशिष्ट उद्देश्य के उपयोग में की जाती है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व व्यक्तिगत जमा लेखे की अप्रयुक्त राशि को समेकित निधि में वापस स्थानांतरित किया जाना चाहिए। राज्य शासन द्वारा मार्च 2019 की अवधि में ₹ 0.50 करोड़ विभिन्न मुख्य शीर्षों से आहरित किए गए तथा व्यक्तिगत निक्षेप खातों में जमा किए गए जिनका विवरण निम्नानुसार हैः—

(₹ करोड़ में)

व्यक्तिगत जमा खाता का विवरण							
प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान अतिरिक्त/प्राप्ति		वर्ष के दौरान बंद/संवितरण		शेष	
संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
263	1,757.00	02	508.61*	34	374.51*	231**	1,891.10

* वर्ष के दौरान प्राप्ति तथा संवितरण राशि शामिल

** कुल 231 व्यक्तिगत जमा खातों में से 20 खातों में अंत शेष ₹ 3.47 करोड़ 31.03.2019 को निष्क्रिय है।

6.14 निवेश

विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैकों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों में किये गये शासकीय निवेशों की जानकारी वित्त लेखे के विवरण क्रमांक 8 एवं 19 में दर्शायी गयी है। वर्ष के अंत तक शासन द्वारा 1,591 संस्थाओं में ₹ 7,268.04[5] करोड़ निवेश किया गया। वित्त लेखे में दशाये गये निवेश के आंकड़े (₹ 52.99 करोड़) तथा राज्य शासन के संस्थाओं द्वारा सूचित आंकड़े (₹ 28.25 करोड़) के मध्य विसंगति पुर्नमिलान के अधीन है।

उपरोक्त का विवरण निम्न सारणी में दर्शाया गया हैः—

[5] वर्ष 2018—19 में छत्तीसगढ़ को दिया गया ₹ 223.59 करोड़ शामिल है।

निवेश के मध्य अंतर का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	निगम का नाम	वित्त लेखे के अनुसार आंकड़े	निगम के अनुसार आंकड़े
1	छत्तीसगढ़ उद्योग विकास निगम	45.37	1.60
2	छत्तीसगढ़ वन विकास निगम	7.62	26.65
योग		**52.99**	**28.25**

6.15 आरक्षित निधि की स्थिति

आरक्षित निधियों की जानकारी वित्त लेखे के विवरण क्रमांक 21 एवं 22 में उपलब्ध है। विशिष्ट उद्देश्यों हेतु 16 आरक्षित निधियां है जिसमें से 12 निधियां क्रियाशील थी एवं चार निधियां 2000–2001 से 2018–19 की अवधि में अक्रियाशील रहीं। 31 मार्च 2019 के अंत तक इन निधियों में कुल ₹ 3,840.85 करोड़ (₹ 3,821.86 करोड़ क्रियाशील निधियों में एवं ₹ 18.99 करोड़ अक्रियाशील निधियों में) शेष रहा, जिसमें से ₹ 2,185.31 करोड़ (56.90 *प्रतिशत*) निवेश किया गया।

6.15.1 राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ)

चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसानुसार गृह मंत्रालय भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 30 जुलाई 2015 के द्वारा राज्य आपदा उन्मोचन निधि की रचना एवं प्रबंधन हेतु दिशा–निर्देश जारी किया गया। इस निधि के दिशा निर्देशो के अनुसार, केन्द्र एवं राज्य शासन को 75:25 के अनुपातानुसार निधि में अंशदान करना आवश्यक है। सितम्बर 2018 में भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा 01 अप्रैल 2018 से इस निधि में केन्द्र शासन के अंशदान को 75 *प्रतिशत* से बढ़ा कर 90 *प्रतिशत* किये जाने का निर्णय किया गया।

वर्ष 2018–19 में राज्य शासन द्वारा ₹ 320.81 करोड़ (₹ 224.47 करोड़ के केन्द्रांश, ₹ 47.03 करोड़ के राज्यांश एवं राष्ट्रीय आपदा उन्मोचन निधि से वर्ष 2017–18 में प्राप्त ₹ 49.31 करोड़) निधि को स्थानांतरित किया गया। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार से दिसम्बर 2018 में प्राप्त किये गये राज्य आपदा उन्मोचन निधि के सहायता अनुदान की कुल राशि ₹ 125.10 करोड़ तथा संबंधित राज्यांश ₹ 13.90 करोड़ को इस निधि को स्थानांतरित नहीं किया गया। इस निधि के शेष में से प्रथमतः मुख्य शीर्ष 2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के अन्तर्गत किये गये ₹ 133.53 करोड़ के व्यय को प्रतिपूरित किया गया एवं दिनांक 31 मार्च 2019 को निधि में ₹ 400.70 करोड़ का शेष रखा गया।

राज्य आपदा उन्मोचन निधि की अधिसूचना अनुसार, इस निधि का शेष भारत सरकार की प्रतिभूतियों, नीलामी किए गए ट्रेजरी बिल, ब्याज युक्त जमा एवं अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों के जमा प्रमाण पत्रो में निवेश किया जाना है। वर्ष 2018–19 में, ₹ 209.28 करोड़ की राशि 182 ट्रेजरी बिलों में निवेश की गई तथा ₹ 7.25 करोड़ ब्याज प्राप्त हुआ जिसे निधि में जमा किया गया है।

6.15.2 समेकित निक्षेप निधि (सी.एस.एफ)

बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर बकाया दायित्वों के उन्मोचन हेतु राज्य शासन द्वारा वर्ष 2006–2007 में समेकित निक्षेप निधि का गठन किया गया है। राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार निधि में गत वर्ष के अंत तक बकाया दायित्वों (आंतरिक ऋण लोक लेखा दायित्वों सहित) का न्यूनतम 0.5 *प्रतिशत* वार्षिक अंशदान किया जाना है। राज्य शासन द्वारा वर्ष 2017–18 में न्यूनतम अशंदान ₹ 264.54 करोड़ (31 मार्च 2018 को बकाया दायित्वों ₹ 52,907.08 करोड़ का 0.5 *प्रतिशत*) के विरूद्ध ₹ 100.00 करोड़ का अंशदान किया गया। परिणामतः ₹ 164.54 करोड़ का कम अंशदान हुआ। इस निधि में 31 मार्च 2019 को ₹ 2,046.94 करोड़ थे तथा सम्पूर्ण राशि को भारत सरकार की प्रतिभूति में निवेश किया गया है।

6.15.3 प्रतिभूति मोचन निधि (जी.आर.एफ)

बारहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि राज्य के प्रत्याभूति दायित्व की उन्मुक्ति हेतु गारंटी उन्मोचन निधि का गठन करें। यद्यपि छत्तीसगढ़ शासन ने उनके पत्र दिनांक 20 मई 2019 के द्वारा निर्णय लिया कि राज्य शासन द्वारा स्वीकृत अधिकांश गारंटी मध्यम एवं निम्न जोखिम प्रकृति के थे, अतः गारंटी उन्मोचन निधि का गठन नहीं किया गया। संस्थानों द्वारा राज्य के गठन से ऋण के पुर्नभुगतान में कोई चूक नहीं की गई थी एवं संस्थाओं से प्राप्त गारंटी प्रस्तावों के पूर्ण परीक्षण एवं वित्तीय स्थिति के आंकलन के पश्चात ही गारंटी प्रदाय किया जाता है। 31 मार्च 2019 को बकाया गारंटी राशि ₹ 10,769.42 करोड़ थी।

6.15.4 ग्रामीण विकास निधि

राज्य शासन द्वारा वर्ष 2001–02 में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु ग्रामीण विकास निधि का गठन किया गया है। वर्ष 2018–19 में इस निधि को कोई राशि स्थानांतरित नहीं की गई है तथा 31 मार्च 2019 को ₹ 214.76 करोड़ की निधि शेष थी। निधि के गठ़न होने के आरंभ से इस निधि से कोई संव्यवहार नहीं किया गया है।

6.15.5 अधोसंरचना विकास उपकर एवं पर्यावरण विकास उपकर का गैर स्थानांतरण

राज्य शासन ने वर्ष 2005 में अधोसंरचना विकास परियोजनाओं एवं पर्यावरण सुधार परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु एक अधिनियम बनाया। यह अधिनियम ''छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर अधिनियम, 2005'' के नाम से जाना जाता है। अधिनियम के अनुसार अधोसंरचना विकास उपकर एवं पर्यावरण विकास उपकर उन सभी भूमि पर लगाया जाता है जिन पर भू–राजस्व या किराया लगाया जाता है। उपकर की दर भूमि के वर्गीकरण पर निर्भर करती है।

(क) अधोसंरचना विकास निधि : राज्य शासन इस निधि को लोक लेखा में मुख्य शीर्ष 8229–200 'अन्य विकास निधियां'–0026–'अधोसंरचना विकास उपकर निधि' से संचालन करता है। अधोसंरचना विकास उपकर मुख्य शीर्ष 0029–103–0063 के अंतर्गत संग्रह किया जाता है। उपकर का अंतरण मुख्य शीर्ष 2029–797–6754 ''अधोसंरचना विकास निधि में अंतरण'' से मुख्य शीर्ष 8229–200–0026 में किया जाता है। व्यय को दर्ज करने का प्रावधान विभिन्न मुख्य शीर्षो के अंतर्गत योजना शीर्ष स्तर पर किया जाता है तथा वर्षांत में इन शीर्षो में यदि व्यय किया गया हो तो, इसे लोक लेखा मुख्य शीर्ष 8229–200–0026 के अंतर्गत नामे किया जाता है।

वर्ष 2016–17 से 2017–18 की अवधि में प्राप्तियों एवं व्यय की समीक्षा के दौरान ज्ञात हुआ कि वर्ष 2016–17 में राज्य शासन ने ₹ 225.17 करोड़ के उपकर का संग्रह किया एवं ₹ 151.78 करोड़ की राशि 2017–18 में इस निधि में स्थानांतरित किया। वर्ष 2017–18 में ₹ 165.87 करोड़ के उपकर संग्रहित किया गया किन्तु वर्ष 2018–19 में कोई राशि स्थानांतरित नहीं की गई जिसके कारण राजस्व आधिक्य ₹ 165.87 करोड़ अधिक दर्शाया गया। वर्ष 2016–17 से 2017–18 में ₹ 340.09[6] करोड़ का व्यय इस निधि में दर्ज किया गया। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2018–19 में ₹ 186.65 करोड़ का व्यय इस निधि में दर्ज किया गया। 31 मार्च 2019 तक निधि का शेष ₹ 48.44 करोड़ है।

(ख) पर्यावरण निधि : राज्य शासन इस निधि को लोक लेखा से मुख्य शीर्ष 8229–200–'अन्य विकास निधियां'–0021–'पर्यावरण उपकर निधि' से संचालित करता है। पर्यावरण उपकर मुख्य शीर्ष 0029–103–0062 के अन्तर्गत संग्रह किया जाता है। उपकर का अंतरण मुख्य शीर्ष 2029–797–6753–'पर्यावरण निधि को अन्तरण' से मुख्य शीर्ष 8229–200–0021 को किया जाता है। वर्ष 2017–18 तक इस निधि से संबंधित व्यय को दर्ज करने हेतु प्रावधान योजना शीर्ष स्तर पर विभिन्न मुख्य शीर्ष के अंतर्गत किया जाता था तथा वर्षांत में इन शीर्षो में यदि

6 वर्ष 2016–17 के ₹ 2.00 करोड़ के व्यय को वर्ष 2017–18 के लेखे में प्रोफार्मा आधार पर समायोजित किया गया है।

व्यय किया गया हो तो, इसे लोक लेखा मुख्य शीर्ष 8229–200–0021 के अंतर्गत नामे किया जाता है। वर्ष 2018–19 के बजट में पर्यावरण निधि से संबंधित व्यय दर्ज करने हेतु पृथक प्रावधान नहीं किया गया है।

वर्ष 2016–17 से 2017–18 तक की अवधि की प्राप्तियों एवं व्यय की समीक्षा के दौरान ज्ञात हुआ कि वर्ष 2016–17 में राज्य शासन ने ₹ 61.44 करोड़ का उपकर संग्रहित किया तथा संपूर्ण राशि को वर्ष 2017–18 में अंतरित किया। इसी प्रकार वर्ष 2017–18 में ₹ 165.87 करोड़ के उपकर संग्रहित किया गया किन्तु वर्ष 2018–19 में कोई राशि इस निधि में अंतरित नहीं की गई जिसके कारण राजस्व आधिक्य ₹ 165.87 करोड़ अधिक दर्शाया गया। वर्ष 2016–17 से 2017–18 की अवधि में ₹ 12.90[7] करोड़ का व्यय इस निधि में दर्ज किया गया तथा वर्ष 2018–19 में इस निधि में कोई व्यय दर्ज नहीं हुआ। 31 मार्च 2019 तक इस निधि का शेष ₹ 223.73 करोड़ है।

6.16 भारत सरकार के लेखा मानकों का अनुपालनः

6.16.1 प्रतिभूति पर लेखा मानक (IGAS-1):

इन मानकों के लिए राज्य सरकार की आवश्यकता है किः–

(क) राज्य शासन, वित्त विभाग के अंतर्गत स्वीकृत, रदद और बकाया गारंटियों के डाटाबेस के रखरखाव हेतु ट्रैकिंग यूनिट की स्थापना करें।

(ख) सरकार द्वारा निष्पादित ऐसी गारंटियो से उत्पन्न दायित्वों के निर्वहन के लिए गारंटी उन्मोचन निधि का गठन करें या स्वचालित डेबिट तंत्र की स्थापना करें।

(ग) बजट दस्तावेजों में गारंटी विवरण का प्रकटन करें।

(घ) अन्य महत्वपूर्ण विवरणों को प्रदान करे।

इन मानकों के अनुपालन में, गारंटी ट्रैकिंग का कार्य संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ शासन ने उनके पत्र दिनांक 20 मई 2019 के द्वारा सूचित किया है कि राज्य शासन द्वारा स्वीकृत अधिकांश गारंटी मध्यम एवं निम्न जोखिम प्रकृति के होने के कारण गारंटी उन्मोचन निधि का गठ़न नहीं किया गया है तथा संस्थानों द्वारा राज्य के गठन से ऋण के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं की गई थी एवं गारंटियों को संस्थाओं से प्राप्त गारंटी प्रस्तावों के पूर्ण परीक्षण एवं वित्तीय स्थिति के आंकलन के पश्चात ही गारंटी प्रदाय किया जाता है। गारंटियों का विवरण राज्य शासन के बजट दस्तावेजो (खण्ड–5) में दर्शाया जाता है।

6.16.2 सहायता अनुदान पर लेखा मानक (IGAS-2)

इन मानकों के लिए राज्य सरकार की आवश्यकता है किः–

(क) शासन द्वारा प्राप्त किये गये सहायता अनुदान को राज्य शासन की राजस्व प्राप्तियों के रूप में वर्गीकृत एवं लेखांकित किया जाना चाहिए।

(ख) ग्रांटर द्वारा संवितरित सहायता अनुदान को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत एवं लेखांकित किया जाना चाहिए।

(ग) पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान पर व्यय को महालेखाकार की सलाह पर राज्यपाल द्वारा विशिष्ट रूप से अधिकृत ना किया गया हो, पूंजीगत शीर्ष में नामे नहीं किया जाना चाहिए।

(घ) अनुदान के प्रकार ग्रांटी के वित्तीय विवरणों में उनकी प्राप्ति के समय प्रकटन किये जाने चाहिए।

इन मानकों के अनुपालन में, शासन द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान को राज्य शासन के लेखों में राजस्व प्राप्तियो के रूप में वर्गीकृत एवं लेखांकित किया जाता है। राज्य शासन द्वारा संवितरित सहायता अनुदान को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वर्ष 2018–19 में राज्य शासन ने बजट प्रावधान कर पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु सहायता अनुदान से संबंधित ₹ 1,998.74 करोड़ के व्यय को महालेखाकार के सलाह के बिना पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत वर्गीकृत किया। सहायता अनुदान को राज्य शासन की प्राप्तियों के रूप में नहीं दर्शाया गया है।

6.16.3 ऋण एवं अग्रिम पर लेखा मानक (IGAS-3)

इस मानक में अपेक्षित समस्त प्रकटनों को वित्त लेखे में सम्मिलित किया गया है।

7 वर्ष 2014–15 के ₹ 12.90 करोड़ के व्यय को वर्ष 2017–18 के लेखे में प्रोफार्मा आधार पर समायोजित किया गया है।

© भारत के नियंत्रक
महालेखापरीक्षक
2020
www.cag.gov.in

agchattisgarh@cag.gov.in